

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 30/12/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
30-12-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

Dhinsa
SHO 31.12.24

139

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD5

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 31/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 16:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0स0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

A

CoS

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पार्चा नं0 4 दिनांक 30.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुझ विवेचक द्वारा ठेकेदार चिरन्वीलाल गोला से उनके मो0 न0 8077841369 से सम्पर्क कर मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध बयान दर्ज कराने हेतु कहा गया तो वह आने को तैयार हो

149 141

गये और बताया कि मैं इस समय सौख में ही हूँ आप चाहे तो मैं आपके पास चौकी सौख पर ही आ जाता हूँ मेरे कहने पर वह चौकी पर उपस्थित आये जिनसे मुकदमा के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान ठेकेदार गवाह श्री चिरन्जीलाल पुत्र नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह जनपद मथुरा मो० न० 8077841369 उम्र करीब 56 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं खरन्जा रोड़ आदि बनाने की ठेकेदारी करता हूँ ग्राम स्यौबा में मन्दिर से बम्बा नहर की ओर चकरोड दूरी करीब 700 मी० पर ईट खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत जनपद मथुरा से स्वीकृत हुआ है यह ठेका मुझे ही दिया गया है परन्तु हम किसी भी साइड पर काम तभी करते हैं जब हमें लिखित में बनाने की परमीशन/कायदिश प्राप्त होता है यह कायदिश मुझे कार्यालय जिला पंचायत मथुरा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति में आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। साहब मेरे द्वारा चकरोड पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि उक्त घटना के समय तक यह क्लीयर नहीं हुआ कि उक्त कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा लेकिन मुझे पता चला कि आपसी राजनिती के चलते द्वेष भावना पूर्वक रविन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि० भदार थाना मगोर्रा मथुरा द्वारा ग्राम स्यौबा के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के चकरोड पर जे०सी०बी० द्वारा मिट्टी डलवा दी और जे०सी०बी० से चकरोड की साइड में आने वाले पेड पौधों को बिना वन विभाग के परमीशन लिये उखडवा दिये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है और अभी मैंने कोई कार्य शुरू भी नहीं कराया है। मैं आदेश की कपी दे रहा हूँ। यही मेरा बयान है।

149

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल कार्यादेश कार्यालय जिला पंचायत मथुरा पत्रांक 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12/12/24 श्री चिरंजीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम जिला मथुरा। इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण जितके कम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। आप द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पचन राज्य विल्ट आयोन योजनान्तर्गत वर्ष 202425 में प्राप्त आवंटित धनराशि के स ऑनलाईन ईनिविदा के अन्तर्गत विख मोबर्धन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यौबा में मन्दिर बम्बा की और ईट खरंजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ईनिविदा की धनराशि रू0 23,36.127.26 40 शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रू0 छब्बीस पै0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्ती अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनोंक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दश में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अवर अभियंता की देखरेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अमांगत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उ0प्र0 क्षेत्र समिति / जिल पंचायत निर्माण नियमावली 1964 के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपकी देय धननाशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु सक्षम स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आर पारितोषिक/छूट को थोन्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त

सामिग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन ब्रिट कोर सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एमएम11 पृथक 2 रूप से समयान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तदुसार सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। पृष्ठकिन: 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12.12.24 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. नाथ अध्यक्ष, जिला पंचायतमथुरा। 2. अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा की तदुसार अनुपालनार्थ। 3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त की दृष्टिमत निर्धारित अवधि में देवबंदार से समन्वय स्थापित कर मानक तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण कराकर ससमय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। 12.12.2024

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 31/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

(125) (144)

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 31/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ravi
31-12-2024

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.

(M) Singh
SHO 11.1.25

कार्यालय जिला पंचायत, मथुरा ।

137 145

कार्यादेश

पत्रांक: 953 / निर्माण अनु0 / 2024-25

दिनांक: 12/12/24

श्री विरजीलाल गोला पुत्र श्री नेगीचन्द
नि0- मुस्ताफाबाद, परखम,
जिला- मथुरा ।

इस कार्यालय के पत्रांक: 905 / निर्माण अनु0 / 2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कर जिनके क्रम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । आप द्वारा किए गए अनुबंध/शर्तों के अधीन रहते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्राप्त / आवंटित धनराशि के समग्र ऑनलाईन ई-निविदा के अन्तर्गत वि0ख0 गोबर्धन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यांबा में मन्दिर से बम्बा की और ईट खरजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ई-निविदा की धनराशि रु0 23,36,127.26 पी0 (शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ मुत्ताईस रु0 छब्बीस पी0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्तों के अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनांक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दररा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की देख-रेख, मानक/तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य का फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपग्र0 क्षेत्र समिति/ जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से फटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबन्ध हेतु सक्षम स्तर पर दिशाणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आप पारितोषिक/छूट के योग्य नहीं होंगे । साथ ही कार्य में प्रयुक्त सामग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन क्रिट, कोर-सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एम0एम0-11 पृथक-2 रूप से समयान्तर्गत मुग्तान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके मुग्तान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । तदनुसार सम्पूर्ण तथ्यों का सञ्चान लेते हुए प्रसंगत कार्य सम्पादित करतया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

दिनांक: 12/12/24

पुर्वांक: 753 / निर्माण अनु0 / 2024-25

प्रतिनिधि निर्मलेश्वर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माह अध्यक्ष, जिला पंचायत-मथुरा ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत, मथुरा को तदनुसार अनुपालनार्थ ।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत-मथुरा को इस आदेश के साथ ही उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में टेबेदार से सन्देश स्थापित कर मानक/तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण करवाकर उक्त मुग्तान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

146

138

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD6

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/01/2025

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 09:40 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 12:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताबिक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

3/11/24

GA

004



House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 5 दिनांक 31.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त की विवेचात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में मुझ विवेचक को उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौखिक आदेशित कर मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर मुकदमा

उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा हस्व तलबिदा थाना हाजा पर उपस्थित हुए। मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे साहब हमें इस मुकदमे की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सजा का प्रावधान 07 वर्ष से कम है। अभियुक्तगण उपरोक्त विवेचना में सहयोग कर रहे हैं तथा हस्वइंदुल तलब समय से पुलिस व अदालत के समक्ष पेश होंगे। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस में निहित प्रावधानों से अवगत कराते हुये बयान अंकित करते हुये नोटिस तामील कराये गये। तामील शुदा नोटिस सलग केश डायरी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 43 वर्ष मो0 न0 9568917071, 9639908116 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

149

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

.बयान अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तयार सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 58 वर्ष मो0 न0 9720463643 ने पृछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

150

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्ला जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।..... पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्ला जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 50 वर्ष मो0 न0 8393937580 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

159

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station (पुलिस स्टेशन) :****Country (देश) :****f) Description (विवरण) :**

बयान अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 37 वर्ष मो0 न0 9760902816 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

S.No.(क्र.सं.) 8**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

153

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

इसके उपरान्त मुकदमा उपरोक्त के नामित अभिगणों को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराकर एवं बयान दर्ज कर थाना हाजा से सादर रूखसत किया गया ।

S.No.(क्र.सं.) 9

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सभी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । घटना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है ।

156

S.No.(क्र.सं.) 10

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अंतिम प्रतिवेदन/आरोप पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

197

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
- b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 02/01/2025
- c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
- d) Remarks (टिप्पणियाँ):
- e) Description (विवरण):
श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचना समाप्त।
- f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/01/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ravindra Kumar Yadav
02-01-2025

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

M. K. Singh
SHO 3.1.25

(198)

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 0241/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (नरक्षण) प्राप्ति 1976 दिनांक 22-11-2024

थाना मन्डोली रो0आम संख्या व समय 056-22:19 वने थाना मन्डोली जनपद

मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/प्रत्नी पद्म सिंघे निवासी

ग्राम/मोहल्ला मन्डोली थाना मन्डोली जनपद मथुरा

मो0न0 0568917071 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मन्डोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024

धारा 4/10 वन (नरक्षण) प्राप्ति के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो

और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया

जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 09:00 (9:00 AM) अपरान्ह /पूर्वान्ह थाना /कार्यालय

मन्डोली पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे

घ- जब भी अपेक्षित /निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज /सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण /परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी /एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने /अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम /मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2025 समय 9:00 AM से 10:00 AM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती शापन /प्रस्तुति शापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है

(अभियुक्त के हस्ताक्षर /नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

रविन्द्र सिंह

R Singh

3568917071

Ravi Singh
02/11/2025
थाना मन्डोली
मथुरा

157

भारत सरकार
Government of India



श्री रविन्द्र
Shri Ravindra
जन्म तिथि / DOB : 11/03/1981
पुरुष / Male



आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता: S/O: प्रेम सिंह, भादर, सोन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
Address: S/O: Prem Singh, Bhadar, Son, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

RSingh

9568917071

9639908116

158

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (नरक्षण आदि) दिनांक 22-11-2024
 थाना भुवनेश्वर रो0आम संख्या व समय 56-22:19PM थाना भुवनेश्वर जनपद
 प्रयाग नाम अभियुक्त/अभियुक्ता नेजपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्याम लाल निवासी
 ग्राम/मोहल्ला चोटा तिरा पट्टा थाना गशोर जनपद भुवनेश्वर
 मो0न0 0393937580 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भुवनेश्वर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 वन (नरक्षण आदि) के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्त-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9:00 के बीच अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय चोटा तिरा पट्टा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 21/10/25 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 21/10/25 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

नेजपाल सिंह
 (हस्ताक्षर)

8393937580

विवेचक के हस्ताक्षर

Raj...
21/10/25

रविशंकर...
 धान - भुवनेश्वर
 भुवनेश्वर

159

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1/24 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम दिनांक 22-11-2024
 थाना मंगोरी रो0आम संख्या व समय 057/20/19 थाना मंगोरी जनपद
 मयुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता एतकी राजेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी सुधीर कुमार निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (श्रीवा सिंग पट्टी) थाना मंगोरी जनपद मयुरा
 मो0न0 9720468643 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको
 सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मंगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1/24 दिनांक 22-11-2024
 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य
 और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया
 जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 21/11/25 को समय 9:00 तक अपरोह/पूर्वाह थाना/कार्यालय
 मयुरा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व
 निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
 - ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेडछाड़ नहीं करेंगे।
 - ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से
 रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
 - घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
 - ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
 - च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी
 तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
 - छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।
 - ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
 - झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति
 नहीं देंगे।
 - ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा
 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारधासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/25 के
 अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/25 समय 10:00 से 10:30 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे
 गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा
 प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस
 प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान
 प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

मैत्री उषा शर्मा

9720 46 86 43

Ram 91
 02/11/25
 विवेचक के
 थाना - मंगोरी
 मयुरा

150

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1024 अन्तर्गत धारा 4/10 UP भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 22/11/2024
 थाना भगोरी रो0आम संख्या व समय 056-22/10/24 थाना भगोरी जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता अशोक कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी
 ग्राम/मोहल्ला 6396857795 थाना भगोरी जनपद मथुरा

मो0न0 6396857795 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/01/2025 को समय 9:00 AM अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यो के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देगे

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होगे और अन्वेषण में सहयोग करेगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिपचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/01/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 01/11/2025 समय 9:00 AM से 12:00 PM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

पुष्पराज

6396857795

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram si.
02/11/2025

रविशंकर
थाना भगोरी
मथुरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 0241/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम 1976 दिनांक 22-11-024
 थाना मगोरी रो0आम संख्या व समय 056-22119 वजे थाना मगोरी जनपद
 मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता डि.ए.ए. सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी इ.ए. सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला चोवा विगा परी थाना मगोरी जनपद मथुरा
 मो0न0 9760902816 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/01/025 को समय 9:00 बजे अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिस्टेंट द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/025 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्ब कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

डि.ए.ए. सिंह
 9760902816

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
 02-11-025

रविशंकर सिंह
 थाना - मगोरी
 मथुरा

162

भारतीय रिजर्व बैंक
Reserve Bank of India



नाम एवं सम्बन्ध
SATTO URPH SATYA/PRAKASH
जन्म तिथि/DOB: 20/08/1966
पुल्ल/ MALE

भारतीय रिजर्व बैंक मेरी पहचान


सत्या उर्फ सत्यप्रकाश

9720463643

भारतीय डिजिटल पहचान प्राधिकरण
Bharatiya Digital Authentication Authority of India

पुल्ल मठ, सिंगी बजार, सिंगी प्रान्तीय मण्डल,
पिन कोड - 201123

Address:
PO: Puliyar Singh village-szuwa, Singi
Prant, Mathura,
UP- Pradesh: 201123




1807 | <http://uidai.gov.in> | www.uidai.gov.in

183



नेत्रपाल
Netrapal
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1974
पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार



आधार

पता:
S/O: श्याम सिंह, विलेज-श्यावा,
सिंगा पट्टी, सोनख, मथुरा, छाता, उत्तर
प्रदेश, 281123

Address:
S/O: Shyam Singh, village: Syawa,
Singa Patti, Sonkh, Mathura,
Chhata, Uttar Pradesh, 281123


1947
1800-300 1947

help@uidai.gov.in

नेत्रपाल सिंह

NP
83 93 93 75 80

156



दिगम्बर सिंह
9760902016

167 165

पुष्पराज सिंह
Puhpraj Singh
जन्म तिथि / DOB: 20/03/2001
पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान

पुष्पराज

6396857795

नेतपाल सिंह
Netnpal Singh
पता: नेतपाल सिंह, सोबा, सिंग पट्टी, सोनख, उत्तर प्रदेश, 281123
Address: S/O: Netnpal Singh, syoba, Singa Patti, Sonkh, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341

Date(दिनांक): 22/11/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 02/01/2025

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

159

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

- 8. Name of I.O. at the time of charge sheet** Ravindra Kumar Yadav
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**972140517
- 9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):**
कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :**

- 10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:**
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

- 11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):**

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name (रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

168

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार , मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार , मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):



Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुख्त्यार सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

170

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी , मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

1883
171

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name नेत्रपाल

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

164 172

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्ग, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्ग, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

165
173

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

166 174

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

167
175

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

176
176

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

- (vii) Religion (धर्म):
(viii) Whether SC/ST/OBC
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
(ix) Occupation(व्यवसाय):
(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

169 177

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि वर्ष)	Occupat ion (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	कुशलपाल वनसंरक्षक/ 7595373793		1979		वर्तमान पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

178

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2	श्री राधेश्याम वन रक्षक / 8791315814	पिता: श्रीराम			वर्तमान पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	श्री चन्द्रभान / 9410446249	पिता: स्व० भवंर सिंह	1957		वर्तमान पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	श्री वासुदेव सिंह / 9950422807	पिता: श्री कारे	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
5	श्री वेदप्रकाश / 9871815991	पिता: महाराज सिंह	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
6	श्री रामगोपाल / 9871815991	पिता: श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1979		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्, मगोर्, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	श्री चिरन्जीलाल / 8077841369	पिता: नैमीचन्द्र	1969		वर्तमान पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	हे०का० 1550 गिरजेश कुमार पी०एन०ओ० न० 062241410 / 9411020191	पिता: श्री लज्जा राम			वर्तमान पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह पी०एन०ओ० न० 972140517 / 9412563927	पिता: श्री राम कुमार सिंह			वर्तमान पता: हाल तैनात थाना मगोर्, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: हाल तैनात थाना मगोर्, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्ष्य



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोरा) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

12/80

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17.Refer Notice served नहीं

Date(दिनांक):

(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफररअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सजा) :



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फॉर्म -V)

Ram
2.01.025

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अद्योषित)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No. 9454403945
पीएनओ/सीयूजी सं:

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No. 972140517
पीएनओ/सीयूजी सं:

To
ce

A
31/1/25

COJ

राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुलान में कार्यालय प्रभागीय निदेशक के पत्रांक 4115/35-3 दिनांक 11.03.2025 से गठित समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को उक्त प्रकरण में जब्त किये गये प्रकाष्ठ के निरीक्षण के फोटोग्राफ्स -



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4612/35-3 मथुरा, दिनांक 11/04/2025.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

- विषय :- ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे विभिन्न प्रजाति के 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों को अवैध रूप से काटे जाने पर दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ0ए0सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्यादि।


उपरोक्त विषयगत पत्र के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों का पातन किया गया है। जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याची श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा मूल आवेदन सं0-1400/2024 दाखिल की गयी है। उक्त मूल आवेदन में याची द्वारा आपको भी प्रतिवादी सं0-2 बनाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित।

- 1-प्रतिलिपि-वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

वेन विभाग संख्या 15/गोवर्धन/2024-25

1277

वेन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...

उ.प्र. वृज संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०... दिनांक 21/11/2024... अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन...

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 - 1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा
- 2. साक्षी का नाम
 - 2. सतवीर उर्फ सली 310 मुख्तयार
- 3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
 - 3. नेत्रपाल 310 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
- 4. मूल्य
 - 4. पुष्पेन्द्र 310 नेत्रपाल
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
 - 5. दिगम्बर 310 हरी
- 6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख
 - निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पो. सौख तहसील - गोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मथुरा

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चक्रोड़ के छिनारे 9 पेड़ नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 44, 2 पेड़ सहकर जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीम, 22 पौधे अरौंदा (0-1) व्यास वर्ग के बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।

(राधेश्याम) वनरक्षक

G.P.S. N - 27°40'50" E - 77°51'06"53"

गवाह (राधेश्याम) व.र.

महोदय,
निवेदन के साथ संलग्न कराना है कि आज दिनांक 21/11/2024 को आधीलय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मय हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर लगभग 10:40 AM को पहुँचे तो देखा कि चक्रोड़ के छिनारे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीराम जोलाई 44, 2 पेड़ सहकर जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापूलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 40, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीम (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - पौधे उखड़े मिले, कटकरावगी मोठे पर कनायी गयी। जो संलग्न है करामद लडकी को चन्द्रान कुश भवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट - सौख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा की सुपुर्देगी में दी गयी। सुपुर्देगीनामा संलग्न है तथा आस-पास रुद्धे पर शात कुमा लडकी को कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखड़े जाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ.प्र. वृज संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 को अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रमाणित निदेशक सा. वा. वन प्रभाग मथुरा

उम्त केस की प्रथम पंच अधिकारी नामित के हेतु सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

15/11/2024 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/2 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 को अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(कुशलपाल) व.र.

आज दिनांक 11/11/2024 को समय लगभग 11:00 बजे घटना स्थल 2 मोला जमाता सीतापुर

पर कटी पडी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष

संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका

विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्योरा

क्र.सं	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी०	आप्रिडुक्ति	
1-	नीम	140	सेमी०	सम्पूर्ण पेड	
2-	"	60	"	"	
3-	"	54	"	"	
4-	पीपल	60	"	"	0 से। व्यास वर्ग
5-	शद्वरत	60	"	"	नीवू-27-पेड
6-	पापूलर	70	"	"	करोडा-22-पेड
7-	"	86	"	"	
8-	"	62	"	"	जालोनी लकड़ी
9-	"	57	"	"	वजन लगभग
10-	"	65	"	"	90 kg
11-	जाड़न	50	"	"	
12-	नीम	70	"	"	
13-	"	67	"	"	
14-	शद्वरत	70	"	"	
15-	पापडी	48	"	"	
16-	पापूलर	62	"	"	
17-	शद्वरत	44	"	"	
18-	नीम	53	"	"	
19-	जालोनी लोरा	35	"	"	
20-	नीम	70	"	"	
21-	"	73	"	"	
22-	जाड़न	77	"	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता			बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	45	"	"	
25-	"	60	"	"	
26-	"	67	"	"	
27-	नीम	127	"	"	

राधेशंकर
व-र.

बुधशंकर पाल
व-र.

रजिस्ट्रेशन संख्या- 17/गोवर्धन/2024-25

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

उ.प्र. वन संरक्षण अधि. अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 08/12/24 अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

1976 की धारा 4/10 1. रवेन्द्र शं० प्रेमसिंह नि. ग्राम भदार पो. सौंख तहसील-गोवर्धन थाना मर्गीरा जिल्हा - मथुरा

2. सतवीर उर्फ सली 510 मुख्त्यार

3. नेत्रपाल शं० श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

4. पुष्पेन्द्र शं० नेत्रपाल

2- साक्षी का नाम

5. दिगम्बर शं० हरी सिंह निवासी गब- ग्राम

शोबा भाग सीगापट्टी पो. सौंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

श्री राधेश्याम वनरक्षक

3- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

लगभग 3 या 4 दिन पूर्व ग्राम शोबा, भाग सीगापट्टी

चक्रोड़ के किनारे 8 पेड़ नीम जो. 106, 78, 108, 105, 98.

8- मूल्य

155, 120, 125, 3 पेड़ पापड़ी जो. 122, 100, 140, तथा 2

पेड़ जूलीप्लोरा जो. 68, 80, 1 पेड़ हॉन्डर जो. 92 से. मी.

कुल 14 पेड़ों के बिना अनुमति के ज.स. मशीन द्वारा काटे

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध

G.P.S. N-27.4050 43

E-77.51866

में विशेष कथन

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण

आदि का उल्लेख मद्योदय

गवाह:-

(राधेश्याम वनरक्षक)

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08/12/24

को लगभग 08:00 AM बजे मुख्तियार खास के द्वारा सूचना प्राप्त

हुई कि ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी चक्रोड़ के किनारे बम्बा की

तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल मैं हमराह

श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम शोबा भाग सीगापट्टी पहुँचे।

तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ

कुछ पेड़ उखाड़े मिले जिनकी नपत डी गयी जो अंलम नम्बर

3 में दर्ज है। उम्त पेड़ों की कड़ी बरामदगी मोठे पर बनायी

गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौंख छोड़ी

नसीरी पर रखवाया गया है। आस पास इन्ने पर शात हुआ

कि उम्त पेड़ों की अंलम नं. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा

ज.स. मशीन द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़े गये

हैं। उम्त व्यक्तियों के द्वारा उ.प्र. वन संरक्षण अधि.

1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा मा. सर्वोच्च न्या.

द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 08/05/2015

की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः स्थिति मद्योदय की सेवा में उचित है।

(नेत्रपाल) व.र.

सेवा में

ज.नि. मद्योदय मथुरा।

मद्योदय, उम्त उख डी उचम प्रति पॉन अधिकारी नामित इन्ने हेतु साफर उचित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम शोका भाग सींजापट्टी चक्रोड के डिनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	पुजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण प्रकाष्ठ
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर भाप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

(राधेश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(कुशलपाल)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

3677

H-3110-71/2024-25

11/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।
पत्रांक 4406 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना: मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/24-के शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 17/गोवर्धन/24-25 व 77/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित अलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

- 1-शिकायत पत्र - 1
 - 2-मूल एच-2 केस संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 सम्बन्धित संलग्नकों सहित
 - 3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र - 1
 - 4-चकालतनाम - 1
 - 5-नजरीनक्सा - 1
 - 6-मुल्लिमामन को दिये गये नोटिस की प्रतियों।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4406 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपराजिक को सूचित करें।

R
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

न्यायालय, न्यायिक शृंखलाधिकारी, मद्रास

17/जीवधन/2024-25

अभियोग सं. 47/प्रभागा 2024-25

- (१) प्रथम सूचनावाता का नाम एवं पद **कुशलपल सिंह बनरसोक**
- (२) अभियुक्तों का नाम व पता
 - (१) नाम **श्वेतु डी० प्रमोद सिंह** निवासी ग्राम अद्वार
 - (२) नाम **सतवीर डी० सतवी** पुत्र मुखत्यार नि. ग्राम श्योबा आण सीगापट्टी
 - (३) नाम **नेमप्रल पुत्र ग्राम सिंह** नि. ग्राम श्योबा आण सीगापट्टी
 - (४) नाम **पुष्पे डी० नेमपल** निवासी ग्राम श्योबा आण सीगापट्टी
 - (५) नाम **दिम्पर डी० ह्योसिह** निवासी ग्राम श्योबा आण सीगापट्टी
- निवास ग्राम **अद्वार, श्योबा** तालुका **बाकुबाना** जिला **सूरुवा**
- पालिका **मंगोरी** जिला **मंगुवा**
- (३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-
 - (१) तिथि **08/12/2024**
 - (२) समय **8:00 AM**
 - (३) स्थान :- (क) राजि **श्योबा सीगापट्टी** जिला **सूरुवा** तहसील **जीवधन**
 - (ख) ब्लॉक का नाम / सबक का नाम
- (४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-
 - (१) किस प्रकार की क्षति की गई :-
नाजायज चरान/कटाना जीव/सीमा स्तम्भों को हटाकर या तोड़ना आदि
 - (२) वन क्षति का विवरण :-
- (क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या
- (ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (सं० मी० में)
- (ग) नाजायज जीव में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

(ग) उ० प्र० पर्वतीय एवं पामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन / राजस्व की शोरी का विवरण :- 8 पेड़ सीमा क्षेत्र- 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125
 3 पेड़ चापडी गा० - 122, 100, 140 तथा 2 पेड़ मूलो मूलोय गा० - 68, 80
 तथा 2 पेड़ हाकिर गा० - 32 सीमा कुल 14 पेड़ क्षेत्र
 अनुमति के अन्तर्गत।

(घ) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 103 का उल्लंघन/राजस्व की शोरी :-
~~.....~~

(३) वन क्षति का अनुमानित मूल्य आद्यतन - 7,926 धर्मा

(४) साक्षियों का नाम व पता :- मुख्य - 43,500/2

(१) श्री वाधेय राम कनरक जीवधन रण।

(२) नाम पुत्र

(३) नाम पुत्र

(४) नाम पुत्र

निवास ग्राम बाकसावा
 जिला

(६) भारतीय वन अधिनियम की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध दफ्तरी है :-

(१) दण्ड की धारा 26 एवं 33

(२) उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 एवं प्रा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 112 क्षेत्र में दिए गये आदेशों की अवमानना।

(३) उ० प्र० आरा मशीन नियमावली सन् 1956 की धारा 103-क-103

(४) नाजायज जोत से वेवखल करने के आवेग की धारा 11-ए

(७) अधिवाचना
 अतः याचना है कि उपरोक्त अभियुक्तों को क्रमांक ६ के (2) अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाय एवं नाजायज जोत से वेवखल किया जाय।

प्रमाणित
 अधिवनाधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिवाशी
 वेवखल से

सिद्धावतकर्ता
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक बानिकी प्रभाग
 मधुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक बानिकी प्रभाग
 मधुरा

39

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

व्यापार्य श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उधम मथुरा
 पाना मजौरी जिला मथुरा
 भारतीय वन अधिनियम धारा २६, ६१-ए०, ६३, ३३ को वि
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मथुरा

श्रीमान्
 निवेदन है कि प्राचीन भूमिपूरी जन-सेवक होने के नाते वनपद के राजकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंस में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राचीन असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राचीन को खोर से श्री सुनील चन्द्र दाहीया एडवोकेट, पेनल भायर (न्यायिक भूमिभावक) वन विद उपराजिक पुरबी करेनो बतः प्रार्थना है कि इस भूमियोग की सुनवाई के दौरान प्राचीन को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जाये।

प्राचीन

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मथुरा
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा 4

40

वकासतनामा

व अवासत श्रीमान अणु मुख्य - आर्थिक अधिकारी प्रथम, मधुप।

नं० मुकदमा 17/ गीकडान 2024-25
77/ प्रवाण 2024-25

सव १६ ई०
पक्षपक्ष
डी. एफ. डी. अपील
नाम मधुप
श्री. एम. डी. प्रेमिन्द्र प्रसाद
व अन्य रिपवाकेट

मैं कि डी. एफ. डी.
ओ कि हमको मधुप
ओर से श्री. अतीव चंद्र बाबनीय एडवोकेट
करना इस मुकदमे में भाग्यपक्ष है इसलिए अपनी

अवासत कातुनी महनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से संबन्धित करें और प्रपनीस कर और प्रायना प्रम अत्येक प्रकार का ओर अन्य कार्य इस मुकदमा के सम्बन्ध में सत्रात पंचायत वाखिल व तहदीक करें या वाखयाया या सुनहनामा या दस्तवरदारी वाखिल करें और अपना यापतानी हमारा वावतजर नकद व बापसी स्टाम्प फोटो फीस व ततनामा वापरह वसूस करके रसीद दें या अपनी जामिन से किसी को पंच मुकदमे करें और कुल काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त तक करें या आवश्यकता पन किसी को इस मुकदमे की प्रयो के वास्ते वकील नियत करें या अपील दावर करें वगैरह अपील से भेरी परफ से जवाब देही करें संक वकील का कार्य स्वयं अपने किये हुए की तरह स्वीकार है और हीया नीब बुकनाय छाहोबात को इज्जियार होगा कि अगर महनताना तयापता हुस्व बायदह उनको वसूस न हो तो वह परबी व बहुष वसरह न करें इसलिए यह वकासतनामा सिख दिया कि सनद होंगे और वावश्यकता के समय काम आवे फतत तहरीर।

तारीख.....सव १६ ई०

गयाह.....तारीख
गयाह.....तारीख

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुप

नाम फरीकन हबडाई
नाम मुकदमा इस्तबाई
नाम अवासत हबडाई

41

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में सर्वप्रथम पूर्व में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.24 की जाँच में दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्गा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापडी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीपलारा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिटटी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिटटी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हरे और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्गा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्गा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की वृष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण ने बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक

42

08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापड़ी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा व 1 पेड़ छौंकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा थाना मगोर्सा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखड़वाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापड़ी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोर्सा के द्वारा ही उखड़वाया गया है। उक्त उखड़वाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौंख कोठी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिटटी डालते समय कुछ पेड़ जे0सी0बी0 मशीन से उखड़ गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाड़कर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखड़वा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये! तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खड़े पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नीबू के 27 झाड़ीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाड़ीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब

(43)

सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 मय फर्द बरामदगी, सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

आदेशित क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज।
पहला संज्ञा/35-1/गोवर्धन, दिनांक 14/03/2025

सेवा में
उप्राधीनस्थ
सा. व. व. प्रभाग
मथुरा।

@mer_14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा
जाँच अधिकारी

महोदय,
उपरोक्त H2 केस संख्या 17/गोवर्धन/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी
वनदरोगा से करवाई गयी उन्ही जाँच से सन्तुष्ट होकर केस को माननीय न्यायालय
में भेजने के संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

45

राजिवाद सं० ०१/११/२०२५-२५

1151

प्रभागीय वाद सं०

वन विभाग उ० प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) मथुरा

अन्य अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक ०८/१२/२४ अधिक्षेत्र राजि गोवर्धन

- १- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 - १. रविन्द्र ११० वेमसिंह नि. ग्राम भोला जे. सोंख
 - वहसोल- गोवर्धन थाना मजौरा जिला - मथुरा
 - २. सतीश इफि सती ११० मुढातगार
 - ३. निरपाल ११० श्याम सिंह इफि गुलाब सिंह
 - ४. पुष्पिन्द्र ११० नेत्रपाल
 - ५. विजय लाल ११० हरी सिंह जिला बीकानेर - ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी जे. सोंख, तह. गोवर्धन, मथुरा

२- साक्षी का नाम
३- कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
लाजबग ३ या ४ दिन पूर्व ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी चकरी के किनारे ४ पेड़ नीम जे. १०६, १०८, १०९, १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४ पेड़ नीम जे. १०६, १०८, ११०, तथा २ पेड़ जलपत्रिका जे. ०८, ०९, १० पेड़ होंडर जे. १२ के-सी.

४- मूल्य
कुल १५ पेड़ों के बिना अनुमाने के ज.स.८. मशीन द्वारा इकट्ठा

५- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
G.P.S. N-27.405043
E-71.518662
१७/११/२४-२५
प्रभागीय वाद सं० ०१/११/२४-२५
वन विभाग (अधिक्षेत्र) राजि गोवर्धन की
अधिसूचना सं० ०१/११/२४-२५
तक प्रस्तुत की

६- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख


गवाह:-
(राक्षसगाम)
नं-२०

सेवा में,
प. नि. महोदय
मथुरा
महोदय,
उम्त डेस की
डिप्टी एग्रीकल्चरल
ऑफिसर आंचरिड ०२६
केठ साइट डेविलेड है।
क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज, मथुरा


महोदय,
निवेदन के साथ संलग्न प्रमाण हैं कि आज दिनांक ०८/१२/२४ को लगभग ०८:०० AM बजे मुखविर कास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी चकरी के किनारे कास की लगभग कुछ पेड़ उखाड़े गये हैं। सूचना पर तत्काल में हमराह वहाँ राक्षसगाम जंगल के साथ ग्राम शमोला भाग सींगपट्टी पहुँचे। वहाँ पर देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेड़ों के आतिरिक्त कास की तरफ कुछ पेड़ उखाड़े गिने जिन्की नपत की गयी जो कुल नम्बर ३ हैं दर्ज हैं। उक्त पेड़ों के पूर्व बरामदगी जेके पर बनायी गयी जो संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी के सोंख केडी नर्सरी पर रखपाया गया है। कास पास उहाँ पर बात हुआ कि उक्त पेड़ों के कुल नं. ३ हैं पूर्व सूचना के द्वारा ज.स.८. मशीन द्वारा लगभग ३ या ४ दिन पूर्व उखाड़े गये गये हैं। उक्त व्यवस्था के द्वारा उ. प्र. वन संरक्षण अधि. १९७६ की धारा ४(१) का उल्लंघन तथा प्रा. सं. वन-२००० द्वारा T.T.Z. क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक ०८/०९/२०१९ को अवमानना के तहत अपराध डिया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में डेविलेड है।
(कुशली पान)
नं-२०

मजरी नक्सा घटना नं० 2 दिनांक 08/12/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25
 सहपर्ज F.I.R. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024



घटना स्थल - ग्राम शमोला भाग सीगा पर्ये तटसीक गोवर्धन खसरा संख्या 698 क चकमती
14 पेडाका आबैधकरी



संकेत - घटना स्थल जहाँ पेड व झाडी नुमा पीछे उखाडे गये है को A-B
 व x x x x से दर्शाया गया है।

जवाह

(सुशकपालसिंह व.रं.)
 वनवीर मजरी
 रेंज गोवर्धन

मजरी नक्सा मोका घटना स्थल निरीक्षण दिनांक 26/11/25
 को मेरे द्वारा बनाया गया।

@mrr
 (अमर-पौधरी वन दरोजा)
 वन अनुभाग चौमुंदा, गोवर्धन

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनामनेपाली वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत



वि० राम शंकरा शाही, मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम रामशंकर शाही के सामने जेठदाने रेञ्ज, पर्तापुरा रोड

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५ अन्तर्गत १९७६ में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-बी/मधुवा
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनामनेपाली वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम १९७६ अन्तर्गत



वि० राम शंकरा शाही, मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक ०२/१२/२०२५

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख ०३/०२/२०२५ व समय ११:०० बजे

व मुकाम रामशंकर शाही के सामने जेठदाने रेञ्ज, पर्तापुरा रोड

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३-५ अन्तर्गत १९७६ में

कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-बी/मधुवा
फारेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जयपुर, मद्रास

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 बजे
व मुकाम जयपुर जेल के सामने जयपुर रोड
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-9 व संशोधन अधिनियम
1916 के धारा 410
कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-3
फॉरेस्ट आफिसर

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...



राज्य वन विभाग, जयपुर, राजस्थान
जयपुर, मद्रास

आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 02/12/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 03/02/2025 व समय 11:00 बजे
व मुकाम जयपुर जेल के सामने जयपुर रोड
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 3-9 व संशोधन अधिनियम
1916 के धारा 410
कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।
अमन चौधरी
अनुभाग अधिकारी
सेक्सन-3
फॉरेस्ट आफिसर

50

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुये हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

ल. प्र. प्र. प्र.
19/03/25
12/03/25

@man 11.03.25
जाँच अधिकारी
वन विभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

लगात (51)

मेरे द्वारा दुबारा यहां पडुचने पर फिर 112 को काफ
 कर कर के गुमवाया गया था जब तक को मोग बहुत
 थी संख्यां मे पंडो को उखाड चुके थे
 112 नं० द्वारा उनसे रिक्लास कोर्ष कार्यवाही नहीं की
 गयी जब मुझे वन विभाग को इसकी सूचना दी
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवालय में पट पडुचे
 तो सिंग सिमित लोगों के रिक्लास वन विभाग द्वारा
 पंडो की पुची बनाकर कर कार्यवाही की गयी है

अवस्था: जो मोग पंडो को उखाड का रहे फिरसे से जानाया
 उनसे नाम सिंग सिमित

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तयारी निवासी शोवा
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुमाय सिंह शोवा
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंग पाल उर्फ शोवा
- 4 - दिगम्बर पुत्र हीर सिंह उर्फ शोवा
- 5 - बोलवीर उर्फ रीशू पुत्र रामचन्द्र उर्फ शोवा
- 6 - लक्ष्मण पुत्र दिगम्बर उर्फ शोवा

अथ 15-20 लाखों के लाखों में पर
 मिले थे.

19/03/2025

देवेंद्र मीरदार SP दी वदक सिंह
 निवासी गुम 2 शोवा हीरवादी
 mob - 9837049037

(57)

वयाग

①

मे इवन्ड मोजपा 2 इग जी एदन विवसी 211 22 भावा
 एीगा पच्ची तदसीम गावचन मज्जुका का पुन विवाकी हु
 प्राप् नोदिस के आधारे पर में आज दिनांक 19/3/25 को
 वक विमाग मयालय गावचन पर उपस्थित हुआ।
 मे वयाग करता हु कि मेरी किली एपी पुत्री गाँव 22 भावा मे
 हे वहां पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले जसरी एवापु
 भी गयी बहुत बडा वगीचा मेरे द्वारा वहां विमिठना पत्र के
 मागदार / धमादार वृद्ध मागोपे गये के सभी पेड मल व दामादार
 ने बहुत पच्ची पुन पर विकास करे के सभी मे धोसने के
 हुने के पर्यावरण वडा अच्छा बना हुआ था।

मगर गाँव कुछ मोगोरीये 211 मद अच्छा न लग रहा हे
 व सकिरे गाँवके कुछ निम्न लिखित मोगों के अपने 15-20 मखिये।
 के साथ नारीय 19-11-2025 को अचानक 200 मखीक
 मगर पहुच गये और पेडों को उखाडने मगे मे मज्जुका रहता
 हुँ गाँव मे मेरे चाचा रहते हे उन्हीके उन्हे समझे ना माली
 प्रयास किया मगर एते मडने मारने को हेयार होकर इमेके
 आये के चाचा द्वारा मुझे बुचना कि गयी मे वन्ही
 उस समय मज्जुका से वहार वा मेने 112-70 पर कांस्त
 मर पुलिस मे भेजा मगर एते तब भी नही सकिरे मे जब मर
 मीके पर पहुचा तब मर के मोग मेरे वगीचे के वाली
 पेडों को 200-द्वारा उखाडा मुने के और 200-
 मुने चाली मिली मेरे वडा पहुचने पर मेरे मना
 करने के वाचक मी के मोग गयी मने
 और मुने मारने पीरने को हेयार के

53

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भेंवर सिंह

निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुये हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रक्षक प्रांत प्रजा

य-३३००२

12-03-2025

@man 11.03.25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

चन्द्रमनसिंह पुत्र श्री मंवर सिंह किसानी ग्राम गुरोवा
 हीगां पत्नी मा किवानी हूँ मुझे एक विभाग गोरखीक द्वारा
 लुमादा गया मे आज दिनांक 19/03/25 को मथालय मे
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बाहर से एकान एक गये है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ लोग
 सतबीट उर्फ सतो पुत्र मुख्तार . नंगपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब
 पुष्पेण उर्फ पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र हीरसिंह
 एवं शोशनीट उर्फ शिशु पुत्र रामचन्द्रप लगी किवानी शयला
 अपने अन्य 15-20 सन्धिको को मंगल मेरे महीने देवन्द
 की गहरी से 200-से पेड़ों को उखाड़ रहे थे
 मेरे महीने पर गया मेरे बहुत बार मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मंगल को लोग मुझ से मडने मारेगे को
 मंगल हो गये मेरे बहुत बार मना करने पर भी नहीं माने
 और गहरी से मंगल मेरे खेत से भी कितने पेड़ को
 उखड़े जावरदली 200-द्वारा बन लोगों को उखाड़ दिये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवन्द को भी छुचगा दी
 उसने 112-पुष्पेण लुमादि को सिंह मंगली माने तब उसने
 एक विभाग को छुचगा दी तो एक विभाग को आये
 और आगे भी माफवादी गयी

चन्द्रमनसिंह
 19-03-2025
 चन्द्रमनसिंह
 पुत्री मंवरसिंह
 (मंवरसिंह)
 फोन नं - 9410446249

सुवाभे

श्रीमान् क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

में दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राचीने तथा प्राचीने के गाँव के लगभग 100 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिह्नित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को पैमाइश मौके पर करने हेतु
श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ रुक प्राचीना पत्रादिया
था। प्राचीने गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्राचीना पत्र पर श्रीमान् उप जिला
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकना 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिह्नित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की में ड डलवायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में में ड डलवायी थी। राजस्व टीम
के पैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्दमान पुत्र भवरी सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्दमान व रामजीत पुत्र चन्दमान व हरवीर पुत्र चन्द
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदन सिंह नि० गवाश्या
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ों को
उखाड़ बाधिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पीढ़ी से गुमराह
कर प्राचीने गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध रंजिश बश थाना मगोरी
में हमलों को के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की डूँही रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने डाने की सूचना भी
वायी मर्या है जबकि प्राचीने वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्राची

दिगम्बर सिंह आ० हरी सिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सौरव, जिला - मथुरा
मो० न० - 9760302816

सेवा में

श्री मान कृतीपवन अधिकारी मेटाद्रप, गोवर्धन
जिला-मथुरा उ०प्र०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्यौवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगारी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
वशा-कृषि, शर्पापुत्र तथा शर्पा के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैनाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटाद्रप गोवर्धन के पट्टी नंबर शर्पापुत्र पर
दिमा था। शर्पा व गाँव के अन्य व्यक्तियों के शर्पापुत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटाद्रप, गोवर्धन के उद्देश्य दिनांक 07-11-2024 पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रकवा 0.9510 हे
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उ
दिन उसी समय जि.सी०बी० से उक्त रस्ते की भंड डलवायी एवं रास्ता में
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भंड डलवायी थी राजस्व टी
के पैनाइश कर जाने के बाद गाँव के स्वंग व्यक्ति चन्द्रभान अ० भवर सिंह
व भरतसिंह व हरवीरसिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देवेन्द्र मौज
व जीतिन्द्र 5% बदनसिंह निवासी गण-गाँव-स्यौवा भाग सीगापट्टी, पो० सि
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगारी, जिला-मथुरा ने जि.सी०बी० से उक्त र
उरवाइया दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिछले गुमराह
शर्पा व गाँव के कुछ व्यक्तियों के किराए राजेशवश थाना मिगारी में हमले
के किराए वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की ड्यूटी रिपोर्ट दर्ज करा दी है
जिससे थाना मिगारी से हमारे लिए थाने आने की सूचना मिलवायी ग
जब की शर्पापुत्र वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर तस्दीक

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश

शर्पा

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ० मुखार,
निवासी-स्यौवा, सीगापट्टी
पो० सौरव थाना-मिगारी, जिला-मथुरा

(57)

सेवा में

श्रीमान ज्योतीप वन अधिकारी अहोदय, गोवर्धन

खि. अफुरा (डू. प्र.)

मैं जे.प.ल.सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव रसोई
 भाग श्रीगाफरी तहसील गोवर्धन थाना - मगोरी खि. अफुरा उम्र करीब
 118 वर्ष पेशा - कृषि प्रथी ने तथा प्रथी के गांव के लगभग 10 व्यक्ति
 ने सरकारी चक्राग की चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
 पैमाइश भोके पर कराने हेतु
 श्रीमान, उपजिलाधिकारी अहोदय गोवर्धन के पद पर प्रार्थना पत्रादि
 या प्रथी व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
 अहोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
 राजस्व टीम सरकारी चक्राग सं. 698 के रकम 0.9510 हे. की भोके पर
 राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अफुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्राग
 की भोके पर चक्राग सं. 698 के चिन्ह कर उसी दिन उसी समय
 जे.सी.वी. से उक्त रास्त की मेंड डलवायी शंभु शर्मा से जो चेड रवडे
 के इनको राजस्व टीम की उपस्थिति से चेड डलवायी थी राजस्व टीम
 के पैमाइश कर जाने के बाद गांव के दंडा व्यक्ति चक्राग पुत्र भवर सिंह
 भरत सिंह, शमजीत, हरवीर पुत्र गण - चक्राग व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वक्राके
 व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी गांधी शोवा भाग श्रीगाफरी थाना मगोरी ने शत्रि से
 जे.सी.वी. से उक्त पेडा के उरवाड विषाया और वन विभाग के कर्मचारियों को
 पीड़ से भुमराट कर प्रथी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शिजंश व श
 थाना मगोरी में लोगों के विरुद्ध वन विभाग के पेडा के उरवाड डलाने की
 सूची रिपोर्ट दर्ज करा दी जिससे थाना मगोरी से हमारे लिए थाने भुजने की सूचना
 भिजवायी गयी जेवकि प्रथी व वन विभाग के पेडा जहाँ उरवाड हे वयान सुनकर
 रसोई कृषि

प्रार्थी 

दिनांक 18.12.2024

जे.प.ल.सिंह 57, श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

निवासी शोवा.पोस्ट मगोरी

Mobile No. 933393752

(58)

सदर अ-

श्रीमान सुपुत्रपाला गांव अधीक्षारी अधोदप, गोवर्धन

जि. अमुरा (उ.प्र)

में पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाला गांव. स्थोवा गांव सीगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगोरस जि. अमुरा.

उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी-प्राथी ने तथा प्राथी के गांव के लगभग 10 व्यक्तियों ने सरकारी चक्रमार्ग की विन्दत कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश गौके पर कराने हेतु-

श्रीमान सुपुत्रपाला अधीक्षारी अधोदप गोवर्धन के यहाँ एक प्राथीनापत्र दिना 07-11-24 को प्राथी व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्राथीनापत्र पर श्रीमान सुपुत्रपाला अधीक्षारी अधोदप गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चक्रमार्ग सं. 698 क रकबा 0.9510 है. की शीके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन अमुरा ने दिनांक 07-11-2024 को उक्त चक्रमार्ग की शीके पर चक्रमार्ग सं. 698 क की विन्दत कर उसी दिन उसी समय जे.सी.वी. से उक्त रास्ते की गेट डहवापी एवं रास्ते में जी.पेड रवर्ड से उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में गेट डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जॉन के साथ गांव के दंडा उपकृत चक्रमार्ग पुत्र चक्रमार्ग, भरत सिंह पुत्र चक्रमार्ग रामजीत पुत्र चक्रमार्ग हरवीर, पुत्र चक्रमार्ग, व देवेन्द्र चौधर, जीतेन्द्र पुत्रपाला वदन सिंह

निवासी गांधी स्थोवा भाग सीगापट्टी जिला मगोरस ने शक्ति अ. जं. सी. बी. से उक्त पेडा की डहवापी दिना 07-11-24 को जमीनभार के करानेवालों को चिह्न से गुमराट कर प्राथी व गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रजिंश वश पाना मगोरस में इस लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के डहवापी की भूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें पाना मगोरस से हमारे लिए पाने वाले को सूचना भिजवायी गयी। जवाब प्राथी ने वन विभाग के पेड नहीं डहवाई है पान सुनकर तस्वीर किआ

पुष्पेन्द्र प्राथी

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाला

निवासी स्थोवा मगोरस

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम श्योवा भाग सींगापट्टी चक्रोइके डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	प्रजाति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण वृक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	हॉडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अंतर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर

(शशिश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रेंज

(कुशलपाल)
ब. र.
जोवर्धन रेंज

बयान

महोदय, मैं कुशलपाल सिंह अनरबल वन कीट मगोरी/सडींग गोवर्धन रे-ज साठ ७१० वन प्रभाग मगोरी शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक २१/११/२०२४ को रे-ज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधारे पर हमारा एनी रजिस्ट्रेशन का रकम नीमगांव वन कीट गोवर्धन रे-ज वन प्रभाग मगोरी के साथ घटना स्थल, रबसरा संख्या ६९८ क मोजा शमीवा पन्ना सींग-पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग १०.५० बजे सुबह पहुंचे तो पाया गया कि चकमार्ग ६९८ क के किनारे पर पेड़ व पौधे जड़ से उखड़े पड़े हैं और चकमार्ग पर ताजा गिट्टी दोनों किनारे से जे०सी०वी० द्वारा डलवायी गयी है जो के पर उखड़े पड़े, पेड़ पौधों की गणना व माप बढी गयी तो पाया ०९ पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः १५०, ६०, ५५, ६७, ७८, ५३, ७०, ७३, १२७ से०मी०, ०१ पेड़ पीपल ६० से०मी०, ०२ पेड़ शहारा ६०, ७० से०मी०, ०६ पेड़ पापुली ७०, ८६, ६२, ५७, ६२, ६५ से०मी०, ०१ पेड़ जामुन ५० से०मी०, ०१ पेड़ पापुडी ५८ से०मी०, ०१ पेड़ शीसम ५५ से०मी०, ०५ पेड़ भौली क्लोरा-३५, ८९, ५५, ६०, ६७ से०मी०, ०१ पेड़ जर्बुन ७७ से०मी० कुल पेड़ २७ तथा २७ नीबू के झाड़ीनुमा पौधे व करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा पौधे मिले जो के पर चर्च व शमदगी बनायी गयी और साथ पास सूड़ताइ कर उका अपराध करने वाले व्यक्तिगों के नाम पता तांग विधे तथा अपराध और अभियुक्तों की पुष्टि कर पुरान विभागीय वन अपराध संख्या १५/गोवर्धन/२०२४-२५ दिनांक २१/११/२०२४-२५ इति विधा गया तथा अभियुक्त १- रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह सिंह मगोरी पोस्ट और व शमीवा मगोरी (२) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र मुख्तियार (३) नेतपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (५) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (५) डिगब्या पुत्र हरीसिंह तिवारी गण गाम शमीवा पन्ना सींगपट्टी पोस्ट सोख थाना मगोरी के विरुद्ध तहरीर थाना मगोरी में ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं० ०३५१/२०२४ दिनांक २२/११/२०२४ दर्ज करायी गयी दिनांक ०८/१२/२०२४ को मुख्तियार खास से सूचना मिली कि गाम शमीवा में चकमार्ग संख्या ६९८ क के दोनों तरफ बड़वा साड़ में खड़े पेड़ों को उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा पुनः पेड़ों को जे.सी.वी. से उखड़ा दिया है। मैं स्वयं भी हमराह नी रावोश्याम अनरबल के साथ घटनास्थल पर समय लगभग-८.०० बजे सुबह पहुंचा तो पाया कि चकमार्ग के किनारे बड़वा की तरफ जे.सी.वी. गरीब से उखड़ा गया है तथा चकमार्ग पर गिट्टी डली गयी है जो के पर पेड़ पेड़ों की गणना व माप बढी गयी तो पाया कि ०८ पेड़ नीम गोलार्ध क्रमशः १०६, ७८, १०८, १०५, ९८, १५५, १२०, १२५ से०मी० ०३ पेड़ पापुडी गोलार्ध- १२२, १००, १५० से०मी०, २ पेड़ भौली क्लोरा गोलार्ध ६८, ८० से०मी० व ०१ पेड़ होकर गोलार्ध ९२ से०मी० कुल पेड़ १५ पाये गये साथ पास सूड़ताइ करने पर पता चला कि यह १५ पेड़ भी अभियुक्त (१) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह (२) सतवीर उर्फ सतलो (३) नेतपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाव सिंह (५) पुष्पेन्द्र पुत्र नेतपाल (५) डिगब्या पुत्र हरीसिंह के द्वारा ही पुनः जे०सी०वी० से उखड़ाये है, अपराध और अभियुक्तों की पुष्टि कर उका अभियुक्तों विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं० १७/गोवर्धन/२०२४-२५ दिनांक ०८/१२/२०२४ तथा तहरीर थाना- मगोरी में देकर मुकदमा दर्ज किया गया उका अभियुक्तों के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समय से रकम ही घटनास्थल पर से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किधे अवैध रूप ५१ पेड़ व नीबू के २७ झाड़ीनुमा पौधे व करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा पौधों को चकमार्ग पर दोनों किनारे से गिट्टी जे.सी.वी. से खोदकर डालने के दौरान उखड़ावा कर उ० प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७६ की धारा ५ व १० तथा भारतीय उत्खनन-माधालय की रिट पिटीशन १३३८१/१९८५ संख्या सी० में हुता बनायु भारत संघ में घोषित आई.र. संख्या ५२७ से पारित (T.T.Z क्षेत्र में वृक्षों के अवैध पातन से संबंधित) आदेश दिनांक ०८/०५/२०१५ की उखमानना करने का ब्युला संशोधन अपराध किया है। उका दोनों घटनाओं में उखड़े गये सभी ५१ पेड़ों की समस्त लकड़ी खं-नीबू के २७ पौधों झाड़ीनुमा और करोड़ा के २२ झाड़ीनुमा पौधों की जलाइ लकड़ी वर्तमान में जारी की जा रही है। पक्षी मेरे बयान है।

बयानकर्ता

12/03/25
 (कुशलपाल सिंह अनरबल वन कीट)
 मगोरी/सडींग गोवर्धन रे-ज
 वन प्रभाग मगोरी

वयान

सद्विय,

श्री शचीश्याम वन रक्षक (वोट नोम जाँव) रेंज गौवर्धन सांवा वन उम्राग मथुरा राधक पुर्वक वयान करत हं कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर वादी कुरापाक सिंह वन रक्षक वन वीट गजौरा, रेंज गौवर्धन के साथ धरना स्थल खसरा सं० 698 का मौजा शौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गौवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे सुबह पहुंचे ती पाया कि चक्रमार्ग खसरा सं० 698 की तामा सफाई करायी गयी है तथा दोनो किनारों से लाना मिट्टी उतार लयी गयी है और चक्रमार्ग के किनारे पेड अकेले पडे हैं। मौके पर उखडे पेडो की माप व गणना करायी गयी ती मौके पर 09 पेड - नीम गोलार्ध क्रमशः 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सैमी० - 01 पेड पीपल - 60 सैमी० 02 पेड 2। तहल 60, 70 सं० मी०, 06 पेड पापूलर 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी०, 01 पेड जासुन 50 सं० मी० 01 पेड पापडी 48 सं० मी० 01 पेड शीशम 44 सं० मी० 05 पेड ल्यूली फ्लौरा 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्जुन 77 सं० मी० कुल पेड 27 तथा नीबू के 27 झाड़ी-नुमा पौधे और करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधे उखडे हुए पाये गये मौके पर कई वरामदगी कनायी गयी और आस-पास बूड लह नी गयी छलवाइ में अग्निमुक्तो नानाम पता नाह लिया गया ती पता चला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाड़ी-नुमा पौधे अग्निमुक्त ७ रवेन्द्र पुत्र डैम सिंह नि० मयार पोस्ट खोख भाग मजौरा जिला मथुरा ३ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र मुख्त्यार ३ नेत्रपाक पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ५ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाक ६ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गाम शौवा भाग सीगा पट्टी पोस्ट खोख भाग मजौरा जिला मथुरा के द्वारा चक्रमार्ग की सफाई व कि० सी० वी० प्रशीत से चक्रमार्ग पर मिट्टी उतारने के दौरान खडे होकर उखडवाया है अपराध और अग्निमुक्तो पुत्रि होने पर तुरन्त विभागीय वन अपराध संख्या 15/गौवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तो के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहरीर थाना मजौरा में दर्ज स्फ. आर्. आर. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/11/2024 को मुखवि० न्वास से सूचना मिलने पर पता चला उक्त सभी अग्निमुक्तो के द्वारा उक्त चक्रमार्ग के किनारे से चक्रमार्ग की तरफ पुनः कुछ पेड कि० सी० वी० से उखडवा दिये है ती में कुरापाक सिंह वन रक्षक के साथ पुनः उक्त धरना स्थल पर पहुंचे ती पाया कि 08 पेड - नीम गोलार्ध क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पापडी जी० 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड ल्यूली फ्लौरा जी० 68, 80 सं० मी० तथा 01 पेड होकर जोतार - 92 सं० मी० कुल पेड - 14 पेडों की कई वरामदगी कनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तो की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० - 17/गौवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 दर्ज कर तहरीर थाना मजौरा में स्फ. आर्. आर. दर्ज कराते हेतु दी गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तो ७ रवेन्द्र पुत्र डैम सिंह ३ सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यधारा पुत्र मुख्त्यार ३ नेत्रपाक पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह ५ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाक ६ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गाम शौवा भाग सीगा पट्टी पोस्ट खोख भाग मजौरा जिला मथुरा के द्वारा धरना स्थल चक्रमार्ग खसरा सं० 698 का मौजा शौवा भाग सीगा पट्टी के दोनो किनारों पर खडे पेडों की चक्रमार्ग पर मिट्टी उतारने के दौरान कुल 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाड़ी-नुमा पौधों की क्रमशः उलग-अलग समय और दिनांक का विना धर्कनुमीले प्राप्त किये अवैध रूप से उखडवाकर उ० 50 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 तथा मा० उच्चतम न्यायालय की रिट मिश्रित सं० 13381/1984 स्म. सी. मेहता व नामा भारत संघ में दायर आर्. उ. सं० 527 में वरुों के अवैध धारन (डी. पी. पेड अफ्टर गट) से संवर्धित पारिठ आदेश दि० - 08/05/2015 की अव मानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है।

दिनांक - 12/03/2025

वयान कर्ता
 शचीश्याम वन रक्षक वीट नीम
 रेंज गौवर्धन वन उम्राग मथुरा

1/4/2025

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4407 / 35-3 मथुरा, दिनांक 29/03/2025

सेवा में

न्यायिक दण्डाधिकारी,
परगना मथुरा
मथुरा।

विषय :- वन अपराध 15/ग्रीवर्टन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 की शिकायत।

महोदय

इस प्रभाग को अपराध संख्या 15/ग्रीवर्टन/24-25 व 72/प्रभाग/2024-25 के

निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1-शिकायत पत्र -1

2-मूल-एच-2 चेस संख्या 15/ग्रीवर्टन/24-25 व 72/प्रभाग/24-25 सम्बन्धित संलग्नको सहित

3-न्यायालय से अनुपस्थित रहने हेतु आवेदन पत्र -1

4-उकालतनाम -1

5-नजरबन्दीनामा -1

6-मुक्तिमान को दिये गये नोटिस की प्रतियों।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक 4407 / 35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्रीवर्टन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृपया राजि आख्या में विवरण को वनविद/उपसजिक को सूचित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

शिकायत पत्र

सेवा में,

म्यापलय, न्यायिक वण्वाधिकारों, मथुरा

15/गोवर्धन/2024-25

अभियोग सं० 72/अग्रग 2024-25

- (१) प्रथम सूचनादाता का नाम एवं पता श्री सुबालपाल वनरसक
- (२) अभियुक्तों का नाम व पता
- (१) नाम श्वेता डी. प्रेमसिंह निवासी आदर मथुरा
- (२) नाम सतवीर डके सती पुत्र मुखत्यार
- (३) नाम जैलखल पुत्र अमर सिंह
- (४) नाम पुष्पे पुत्र जैलपाल
- (५) नाम दिगम्बर पुत्र हरी सिंह
- निवास ग्राम श्रीवा अग्रग सीमापट्टी निवासी सौरव
- घाता अग्रग सीमापट्टी जिला मथुरा
- (३) अपराध की तिथि, समय एवं स्थान :-
- (१) तिथि 11/11/2024
- (२) समय 10:40 AM
- (३) स्थान :- (क) राज अग्रग सीमापट्टी, गोवर्धन मथुरा
- (ख) ब्लॉक का नाम / सड़क का नाम
- (४) अपराध का संक्षिप्त विवरण :-
- (१) किस प्रकार की शक्ति की गई :-
नाजायज चरान/कटाना जोत/सीमा स्तम्भों को उखाड़ने या तोड़ना आदि
- (२) वन शक्ति का विवरण :-
- (क) नाजायज चरान में पशुओं की प्रजाति व संख्या
- (ख) नाजायज कटान में वृक्षों की प्रजाति, संख्या एवं गोलाई (से. मी. में)
- (ग) नाजायज जोत में सीमा स्तम्भों की संख्या एवं जोत क्षेत्र (हेक्टर में)

न्यायालय से अनुपस्थिति हेतु आवेदन-पत्र

न्यायालय श्रीमान डाक्टर मुख्य-प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम मधुरा ।
 पाना मधुरा ड० प्र० बृहत् संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4(10) एवं
 भारतीय वन अधिनियम धारा 26, 41-ए०, 42, 33 आदि प्रा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11/7/76 में दिये गये आदेशों-
 इन्वेष्टन ।
 राज्य उत्तर प्रदेश जिला मधुरा

श्रीमान्

निवेदन है कि प्राथी अभियोगी जन-सेवक होने के नाते जनपद के राबकीय प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है और इस केंद्र में प्रतिदिन सुनवाई पर उपस्थिति होने में प्राथी असमर्थ रहेगा। इसलिये प्राथी को और से श्री. इन्वेष्टन-चक्रवाती एडवोकेट, पेनल नायर (न्यायिक अभिभावक) वन विद उपराजिक पत्रवी करके अवगत है कि इस अभियोग की सुनवाई के दौरान प्राथी की व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखने की कृपा की जावे।

प्राथी

१२
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 मधुरा

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मधुरा

66

वकासनामा

व अवास्त श्रीमान जय मुख्या-याचिक मंडिस्ट्रेट प्रथम, मधुय।

मं० मुकदमा
15/गीबडात/2024-25
72/प्रभाग/2024-25

सप १९ ई०
डी० एफ० ट्री०
मधुय
नाम
रवेन्द्र शि० जे० मंडिस्ट्रेट प्रथम
व अन्य रिपपारेंट

मं कि डी० एफ० ट्री० मधुय

जो कि हमको करना इस मुकदमे में आवश्यक है इसलिए अपनी ओर से डी० एफ० ट्री० मधुय को रिपपारेंट

अवास्त कातूनी महनताने पर अपना वकील नियत करके प्रतिज्ञा करते हैं कि वकील जो इस इस मुकदमा में हमारी ओर से सबूत दाखिल करे और प्रस्तोता करे और प्रापना पुनः प्रत्येक प्रकार का और अन्य कार्रज इस मुकदमा के सम्बन्ध में संप्राप्त पंचायत दाखिल व तस्दीक करे या वाजबाबा या सुलहनामा या दस्तखरदोरी दाखिल करे और शपथ यापतानी हमारा वाजतजर नकद व आपसी स्टास्य फोटो फीस व सप्तवाया वगैरह वसूल करके रसीद दें या अपनी जामिन से किसी को पंच मुकदमे करे और कुस काम मुकदमे का एकत्रित या अलग-अलग मुकदमे के अन्त संक करे या आवश्यकता पर किसी को इस मुकदमे की पैरवी के वास्ते वकील नियत करे या अपील दायर करे उबाह अपील से भेरी सरफ से जवाब देही करे सब वकील का कार्य हमने किये हुए की तस्द्व खोकार है और हीगा वीच बुकनाय साहीबान को इन्तिघार होगा कि अगर महनताना तयापता हुस्व बायदह सतकी वसूल न हो तो वह पैरवी व बहुस वगैरह न करे इसलिए यह वकासतनामा लिख दिया कि समद होवे और वाजश्यकता के समय काम आवे फतत तहरीर।

तारीख.....सप १९ ई०

गयाह.....तारीख.....

गयाह.....तारीख.....

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मधुय

नाम परीकल हबवाई

सम्बर मुकदमा हबवाई

नाम अवास्त हबवाई

अंतिम जाँच आख्या

महोदय,

विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 (सह दर्ज अपराध F.I.R. संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024) जाँच मेरे द्वारा घटनाक्रमानुसार प्रारम्भ की गयी दिनांक 30.11.2024 को मौजा घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क पर बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ पहुँचा। तो पाया कि मौके पर निकाले जा रहे चकमार्ग के किनारे पर कुछ पेड़ व कुछ झाड़ीनुमा पौधे जड़ से उखड़े हुये पड़े हैं। मौके पर उखड़े पड़े पेड़ों व झाड़ियों की माप व गणना की गयी मौके पर नीम 9 पेड़ पीपल 1 पेड़ सहतूत 2 पेड़ पापूलर 6 पेड़, जामुन 1 पेड़, शीशम 1 पेड़ पापडी 1 पेड़, अर्जुन 1 पेड़ व प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के 5 पेड़ तथा नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे उखड़े पाये गये मौके पर नजरी नक्सा बनाया गया जो संलग्न है। घटनास्थल का निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सफाई कर नई मिट्टी डालकर बनाया गया चकमार्ग के दोनों किनारों से उक्त अंकित प्रजातियों के कुल 27 पेड़ व नींबू प्रजाति के 27 झाड़ीनुमा पौधे व करोंदा प्रजाति के 22 झाड़ीनुमा पौधे जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा जड़ सहित उखाड़े गये हैं। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधे दर्ज विभागीय वन अपराध में दर्ज की गयी संख्या व माप के अनुरूप ही पाये गये। आस-पास मिले व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ की गयी तो नाम उजागर ना करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पेड़ों को व झाड़ीनुमा पौधों को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी निवासी 1 सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी तथा 5 रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार के द्वारा चकमार्ग की सफाई व चकमार्ग पर दोनों किनारे से जे0सी0बी0 मशीन से मिट्टी डलवाने के दौरान उखड़वाया गया है। जाँच में उजागर अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के नाम व पिता के नाम व पिता के अनुरूप है। उखाड़े गये पेड़ व झाड़ीनुमा पौधों की भूमि का स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ।

दिनांक 10.12.2024 को अभियुक्तों के नाम अलग अलग नोटिस जारी कर दिनांक 18.12.2024 को रेंज कार्यालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने/बयान दर्ज कराने हेतु सूचित किया गया दिनांक 18.12.2024 को नियत समय अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरी व अन्य अभियुक्त उपस्थित हए और पूर्व से ही तैयार नोटरी शपथ पत्र /बयान जिस पर अन्य ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया एवं सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने अलग अलग बयान भी दर्ज कराये गये। इस नोटरी शपथ पत्र /बयान में तथा दर्ज वन अपराध में अंकित अभियुक्तों के द्वारा अलग अलग दर्ज कराये गये बयानों में अपराध किये जाने से इंकार किया तथा आरोप चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह , रामजीत, हरवीर व भरत सिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व जितेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोर्सा पर लगाया है। किन्तु अपराध दर्जकर्ता वनरक्षक श्री कुशलपाल बीट प्रभारी मगोर्सा व हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के द्वारा उक्त अपराध में दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही वन अपराध किये जाने की पुष्टि अपने बयानों में की है। प्रकरण में बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा पुनः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77/प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 के अनुसार उक्त अंकित अभियुक्तों के द्वारा पुनः नीम के 8 पेड़, 3 पेड़ पापडी, 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा व 1 पेड़ छाँकर को जे0सी0बी0 मशीन से जड़ से उखड़वा दिया गया जिसकी तहरीर श्री कुशलपाल वनरक्षक के द्वारा

थाना मगोरा में दी गयी की भी जाँच की गयी दर्ज विभागीय वन अपराध में अंकित उखाड़े गये पेड़ों को भी उक्त दर्ज अभियुक्तों के द्वारा ही जे0सी0बी0 से उखडवाकर वन अपराध किया गया है।

दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 की भी जाँच मेरे द्वारा दिनांक 26.01.2025 को मौका घटनास्थल पर सम्बन्धि बीट प्रभारी श्री कुशलपाल के साथ पहुँचकर की गयी मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्सा बनाया गया नजरी नक्सा 02 दिनांक 26.01.2025 जो संलग्न है। मौके पर बम्बा की तरफ 14 वृक्षों के उखाड़े जाने के साक्ष्य पाये गये आस-पास मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो नाम उजागर न करने की शर्त पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त 8 पेड़ नीम, 3 पेड़ पापडी 2 पेड़ प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा (काबली बबूल) व 1 पेड़ छौंकर कुल 14 पेड़ को दोबारा जे0सी0बी0 लाकर अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर पुत्र हरी सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा व रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा के द्वारा ही उखडवाया गया है। उक्त उखडवाये गये पेड़ों की सिनाख्त करने सौंख कोटी नर्सरी पहुँच कर देखा गया तो उक्त उखाड़े गये पेड़ों का मिलान दर्ज वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/2024-25 में दर्ज पेड़ों के अनुसार सही पाया गया। प्रकरण में दिनांक 28.01.2025 को उक्त सभी अभियुक्तों को पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 03.02.2025 को रेंज कार्यालय गोवर्धन पर अपना पक्ष रखने व बयान दर्ज करने हेतु सूचना दी गयी किन्तु कोई अभियुक्त बयान दर्ज कराने नहीं आये। दिनांक 30.01.2025 को मैं स्वयं हमराह श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा व ग्राम भदार तथा घटनास्थल पर पुनः गया। और अभियुक्तगण को उनके पता ठिकाना पर तलाश किया किन्तु पता चला कि अभियुक्तगण नहीं मिले तब घटनास्थल पर पहुँचने पर अभियुक्त सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार व कुछ अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर मिले जिनके संयुक्त बयान दर्ज किये बयान में स्वीकार किया कि चकरोड पर दोनों तरफ से मिट्टी डालते समय कुछ पेड़ जे0सी0बी0 मशीन से उखड गये हैं। जिन्हें मौके पर वन विभाग अधिकारी को हमने दिखाया गया है। बयान की प्रति संलग्न है। जिससे सिद्ध है कि पेड़ बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से उखाडकर अपराध जान बूझकर किया गया है।

प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दर्ज कराये गये बयान दिनांक 18.12.2024 के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह व चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह को नोटिस प्राप्त कराये गये जिस पर दिनांक 19.03.2025 को उक्त दोनों के द्वारा अपने बयान अलग अलग दर्ज कराये गये। दर्ज बयान में उक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.11.2024 को अचानक गाँव के सत्तो उर्फ सतवीर पुत्र मुखत्यार, नेत्रपाल पुत्र श्याम उर्फ गुलाब, पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल, दिगम्बर पुत्र हरी व अन्य ने जे0सी0बी0 मंगाकर हमारी नर्सरी से पेड़ व पौधों को उखडवा देना शुरू कर दिया हमारे द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने और हमसे आमदा फसाद हुये। तब वन विभाग को सूचना दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा कार्यवाही की गयी। दिये बयानों की प्रति संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्टकर्ता बीट प्रभारी श्री कुशलपाल वनरक्षक व उनके हमराह श्री राधेश्याम के भी लिखित बयान दिनांक 12.03.2025 को लिये गये उक्त के द्वारा भी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारे पर खडे पेड़ 27 व 14 कुल 41 पेड़ तथा नींबू के 27 झाडीनुमा पौधे और करोंदा के 22 झाडीनुमा पौधों को अभियुक्त 1 सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार 2. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 3. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 4. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह व सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा मथुरा व 5. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी भदार थाना मगोरा मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 से उखडवाये जाने की पुष्टि की है।

मौके से बरामद सभी 41 पेड़ों की लकड़ी व 49 झाड़ीनुमा पौधे प्रजाति नींबू व करोंदा की जलौनी लकड़ी को सम्बन्धित बीट प्रभारी मगोरा श्री कुशलपाल वनरक्षक की अभिरक्षा में रख गया है।

अतः दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/72 प्रभाग/2024-25 दर्ज दिनांक 21.11.2024 तथा उसी घटनास्थल पर उन्ही समान अभियुक्तों के द्वारा पुनः किये गये समान वन अपराध में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 17/गोवर्धन/77 प्रभाग/2024-25 दिनांक 08.12.2024 की लगातार जाँच किये जाने के निष्कर्ष में घटनास्थल मौजा ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा स्थित खसरा संख्या 698 क चकमार्ग के दोनों किनारों से जे0सी0बी0 मशीन द्वारा ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से उखाड़े गये उपरोक्त विभिन्न प्रजाति के 41 पेड़ एवं 27 नींबू प्रजाति व 22 करोंदा प्रजाति के झाड़ीनुमा पौधों को वन अपराध अभियुक्त (1) सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखत्यार (2) नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह (3) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पी पुत्र नेत्रपाल (4) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह सभी निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी थाना मगोरा जिला मथुरा एवं (5) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार थाना मगोरा जिला मथुरा के विरुद्ध वखूबी सिद्ध होने फलस्वरूप अंतर्गत धारा 4 व 10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की रिट पिटीशन 13381/1984 की आई0ए0 संख्या 527 में ताज ट्रिपोजियम जोन के अंतर्गत वृक्षों का अवैध पातन किये जाने से सम्बन्धित पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 का खुला उल्लंघन किये जाने के अपराध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम मथुरा को बजरिये अधिकृत अधिवक्ता प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि साक्ष्य और गवाहान को तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

उक्त मामले में दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08.12.2024 तथा थाना मगोरा मथुरा में सह दर्ज अपराध संख्या 0341/2024 दिनांक 22.11.2024 एक ही घटनास्थल पर समान धाराओं में एवं समान अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज है।

संलग्नक:-

1. दर्ज विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 25.11.2024 मय फर्द बरामदगी , सुपुर्दगीनामा, नजरीनक्सा, व अभियुक्तों को अलग अलग प्रेषित नोटिस बयान आदि।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रैण।
पत्रांक प्रभागी/जी/35-1 दिनांक 10/12/2025

सेवा में
विभागीय प्रिन्सिपल
वन वन प्ररक्षण
मथुरा।

महोदय

उपरोक्त H2 केस संख्या 15/जी/24-25 की जाँच श्री अमन चौधरी वन हयोग से सहाय्य गयी उनकी जाँच से सहमत हूँ अतः केस की मा. प्रा. न्यायालय में अर्पण की संस्तुति सहित उपर्युक्त महोदय की सेवा में प्रेषित हूँ।

अमन चौधरी

@man 14-03-25
अमन चौधरी वनदरोगा

जाँच अधिकारी

मा. न्यायालय से भेजने की लहज में लाया है।

मथुरा

राजिवाद सं० 15/जि०/2024-25

प्रभागीय वाद सं० 72/प्रभागी/2024-25

1299

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) बृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) ...सुपु.रा.

उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधि. 1976 की अन्य अपराध... प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०... दिनांक 21/11/2024... अधिक्षेत्र राजि. गोवर्धन.....

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
 1. रवेन्द्र 310 प्रेमसिंह नि. ग्राम भदर, पो. सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा
 2. सतवीर उर्फ सली 510 भुखतयार
 3. नेत्रपाल 510 श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह
 4. पुष्पेन्द्र 510 नेत्रपाल
 5. दिगम्बर 510 हरी
- 2. साक्षी का नाम

(राधेश्याम) वनरक्षक
- 3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

निवासीगण - ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पो. सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना - मर्गीरा जिला - मथुरा
- 4. मूल्य

आज दिनांक 21/11/2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चक्रोड़ के डिनारे 9 पेड़, नीम 140, 60, 54, 70, 67, 53 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 फेंचे नींबू, 22 फेंचे इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

44, 2 पेड़ सहकरत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जो. 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 फेंचे नींबू, 22 फेंचे इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग की बिना अनुमति के ज.स.स. मशीन द्वारा उखाड़ना।
- 6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

गवाह - (राधेश्याम) व.र.

महोदय, निवेदन के साथ अलगत डराना है कि आप दिनांक 21/11/2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर भय हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर लगभग 10:40 AM बजे पहुंचे तो देखा कि चक्रोड़ के डिनारे पर 9 पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत करी गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी जोलाई 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73, 127, 1 पेड़ पीपल जोलाई 60, 1 पेड़ शीशम जोलाई 44, 2 पेड़ सहकरत जोलाई 60, 70, 6 पेड़ पापलर जोलाई 70, 86, 62, 57, 62, 65, 1 पेड़ जामुन जोलाई 50, 1 पेड़ पापड़ी जोलाई 48, 5 पेड़ प्रोसोपिस ज्यू. जोलाई 35, 89, 45, 60, 67, 1 पेड़ अर्जुन जोलाई 77 से.मी. कुल 27 पेड़ तथा 27 फेंचे नींबू (0-1) व्यास वर्ग, 22 पेड़ इरौंदा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़ - फेंचे उखड़े मिले, बटिकरामपट्टी मोठे पर बनानी गयी। जो संलग्न है करामद लडडी की चन्द्रबान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट- सौंख तहसील - गोवर्धन, थाना मर्गीरा जिला मथुरा की सुपुदेगी में ही गयी। सुपुदेगीनामा संलग्न है तथा आस-पास रहने पर नात डमा कि उम्त पेड़ों की कौलम न. 1 में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा उखड़ जाये गये हैं। उम्त व्यक्तियों द्वारा उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 112 क्षेत्र में दिये गये आदेश दिनांक 18/05/2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर उपेक्षित है।


मेवा में, प्रभागीय निदेशक सा. वा. वन प्रभाग मथुरा महोदय, उम्तकेस की प्रथम प्रति ब्यौरे अधिकांशी गमित करने हेतु सादर उपेक्षित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज, मथुरा

(इशानपाल) व.र.

नजरी नक्सा घटना नं० 1 दिनांक 21/11/2024 को
 दर्ज विभागीय वन अपराध सं० 15/जेवधन/2024-25
 सह दर्ज F.I.R. सं० 0341/2024 दि० 22/11/2024

घटना स्थल खसरा संख्या 698 क चक्रभागी भोजा/ग्राम-शौबा भाग सिंगापरी
 तहसील जेवधन जिला मधुपुरा 27 पेड व नीचे के 27 व करोंदा के
 22 झाड़नुमा पौधों का भवैध करान।



संकेत-घटना स्थल चक्रभागी 698 क जहाँ 27 पेड व 27 नीचे व 22 करोंदा के झाड़नुमा पौधे डकटे गये है को A-B व XXXX से इशारा दिया गया है।

गवाह

(अशोक पाल सिंह व.रं.)
 वन बीट अगोरी
 रंज गोवर्धन

नजरी नक्सा भोजा घटना स्थल निरीक्षण दिनांक
 30/11/2024 को मेरे द्वारा बनाया गया।

@man

(अजय-पौधरी वन दरोगा)
 वन अनुभाग चौकुंदा
 जेवधन रंज

72

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ...
रजिस्ट्रार, जिला - मधुप



आपको बजरिये नोटिस इतिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...
दिनांक 21/11/2024

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM पर
व मुकाम ...
को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ...
कायम किया जाये।

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आयेँ दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

फॉरेस्ट ऑफिसर
मधुप

PU7117098897IN IVR:828571709889
RL GOMERUNAH SO (281502)
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:RGVINDORA ..
Sankh SO

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम दिग्गज 5/0 हरी



पिन ग्राम श्योला भाग सीगापट्टी
डी० सौख्य, तह. गोवर्धन
थाना मंगोटा पिला मधु

दैन्य डेल सर्व 15/जुल/2024-25

को बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत
दिनांक 21/11/2024

आयाद हुआ है।

1: आप व तारीख 18/12/2024 व समय 11:00 AM बजे
इमालम मंगोटा वन 31/1/2024 गोवर्धन रेल, जतीडा रोड
मुकाम रावडी पट्टी इतर डालेज के सामने गोवर्धन मधु
हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकदमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 197C की धारा 4/10 में
सम किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
नीम है और बाद कार्यवाही मुकदमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फॉरेस्ट आफिसर
मंगोटा थाना
चौखुडा

India
81711703075DN INR:6285711703075
RL GVERDHAN SO C281502
Counter No:1.10/12/2024.13:17
To:DIGMOR..
PIN:281123. Sankh SO
From:KARYALAY CH.GAR
Mt:10rus.REB=17.0
Amt:25.76.Tax:3.96.Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track on www.indiafast.com.in)
Dial 18002668868 (Near Haskis. Stay Safe)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम ... पुष्पेन्द्र ... १/० ... नेपाल



निचो काम शमोखा भाग सीतापटरी
चौम सौंख, तह - जोवर्षिन
थाना भर्गाँटा जिला मधुवा

आपको बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत ...

दिनांक २१/११/२०२४

जुर्म आयाद हुआ है।

अतः आप व तारीख १८/१२/२०२४ व समय ११:०० Am बजे
डा. प्रदीप शर्मा वन अधिशाही जोवर्षिन तह, पत्तीपुर रोड
व मुकाम रा. प्रदीप शर्मा वन अधिशाही के सामने जोवर्षिन, मधुवा

को हाजिर अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
मुकद्दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३७ अथवा ३८ अथवा ३९ १९४६ में
कायम किया जाये। धारा ५/१०

यदि आप उक्त मुताबिक हाजिर व आये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
तस्लीम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
अ. फोरेस्ट ऑफिसर
चौमहाँ

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम सतवीर डूके सल्लो ९० मूलतःभार



नि० जगम शमोखा, भाग लीगापरी
पौर सौख तह. गोवर्धन
भाना मर्गाता, मधु.

रेजि. नं० १५/१०/२०२५-२५

बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक २३/११/२०२५

गद हुआ है।

प व तारीख १८/१२/२०२४ व समय ११:०० AM वजे
इमालिय क्षेत्रीय वन अधिभारता गोकर्धन रेजि, जतीपुरा रेड
शायरीय इंटर कालेज के लोभनि गोवर्धन, मधु।

अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११० में
या जाये।

वक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म

और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man

फॉरेस्ट ऑफिसर
अन्तर्गत अधिकारी

चौमूहाँ

R0711705858IN ITR:8285711705858

RL GUNEROMAN SO (281502)

Counter No:1.10/12/2024.13:17

To:SAITYEER ..

PIN:281123, Sonbh 90

From:KARYALAY Dh.6NR

#:100ms.REF=17.0

Net:25.9%.Tax:3.9%.Aml.Paid:26.00(Cash)

(Track on www.indiapost.gov.in)

नोटिस अन्तर्गत इण्डियन फोरेस्ट एक्ट

डी० एफ० ओ० बनाम नेपाल १/० श्याम सिंह डीपी अलाय सिंह



निम्न ग्राम शमोका, भाग सीतापट्टी
पोस्ट सौख्य, तहसील - गीवरदिन
थाना भगौरा जिल्ला - मधुवा

रेजि. डे. सं. १५/१०/२०२४-२५

जे बजरिये नोटिस इत्तिला दी जाती है कि आपके खिलाफ बाबत

दिनांक २१/११/२०२४

भायाद हुआ है।

आप व तारीख १८/१२/२०२४ व समय ११:०० AM वजे
अर्चिलम निगम वन अधिकारी गीवरदिन, धरौडुग रोड
काम शहरीय इन्टर डी.एल. डी. लायने गीवरदिन

गिरि अपना व्यान व सबूत दें कि क्यों न उक्त जुर्म के सिलसिले में आपके खिलाफ
दमा अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा ३० ए व प्रस. संरक्षण अधिनियम १९७६
में उक्त धारा ४/१०
म किया जाये।

आप उक्त मुताबिक हाजिर व आर्ये दो समझा जायेगा कि आपको अपना जुर्म
मेम है और बाद कार्यवाही मुकद्दमा आपका को उजर काबिल समात न होगा।

@man
फोरेस्ट आफिसर

907117952887N INR:8285711705288
AL GOMERDHHN SO <281502>
Counter No:1.10/12/2024.13:17
Te:METRAPH...
PIN:281123, Sankh SO
From:KARYALAY CH.GNR
Wt:100ms,RED=17.0
Amt:25.96, Tax:3.96, Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiaPost.gov.in>
Dial 18002668888 <Wear Masks, Stay Safe>



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP08539596804401W

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP08539596804401W
 18-Dec-2024 03:00 PM
 NEWIMPACC (SV)/ up14570504/ MATHURA SADAR/ U
 SUBIN-UPUP1457050414057051217865W
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 Article 4 Affidavit
 NA
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 DFO MATHURA
 DIGAMVAR SINGH SO HARI SINGH
 10
 (Ten only)



STAMP

समझ-श्रीमति प्रभागीय वन अधिकारी महोदय, मथुरा

वन विभाग मथुरा (उप्र०)

शपथपत्र मिनजानिव-दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह आदि निवासीगण ग्राम
 बीबा भाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा उप्र
 35 वर्ष, पेशा-कृषि आदि।

शपथकर्तागण धर्म से शपथपूर्वक निम्न व्यान करते हैं कि-

यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त पते के स्थाई निवासी हैं तथा
 शपथकर्तागण के नाम व पते पर अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं
 करता है एवं शपथकर्तागण उक्त घटना के तथ्यों से भली भाँति
 परिचित हैं।

दिगम्बर सिंह

78

//2//

2- यह कि शपथकर्तागण के ग्राम के व्यक्ति दिगम्बर सिंह आदि ने ग्राम श्यौबा के चकमार्ग यानि सरकारी रास्ता के खसरा सं०-698क, रकवा-0.9510 हैक्टे० की मौके पर पैमाइश यानि चिन्हित कराने और मौके पर निकलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07/11/2024 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, गोवर्धन के यहाँ दिया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन ने आदेश दिनांक 07/11/2024 को राजस्व टीम तहसील गोवर्धन की गठित कर मौके पर नापकर निशानदेही को आदेश किया था । आदेश दिनांक 07/11/2024 के अनुपालन हेतु दिनांक 09/11/2024को तहसील गोवर्धन की टीम मौके पर गयी और नापकर चकरोड को चिन्हित करके वापिस आ गयी ।



यह कि दिनांक 09/11/2024 को ग्राम श्यौबा के दबंग व्यक्ति चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह व रामजीत व हरवीर व भरतसिंह पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदनसिंह व जीतेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह निवासीगण श्यौबा भाग सीगापट्टी ने उक्त रास्ते में खड़े

पेड़ों को रात्रि में जे०सी०बी० से उखड़वा दिया है तथा रंजिशवश वन विभाग के दफतर में आकर शपथकर्तागण के ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के नाम बताकर वन विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर ग्राम के रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० भदार व सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुख्त्यार सिंह व नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलाब सिंह व पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल व दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी के विरुद्ध रंजिशवश थाना मगोरा में रिपोर्ट झूठी दर्ज करा दी है जो कि असत्य है ।

4- यह कि उक्त रास्ते में से वन विभाग के पेड़ों को चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह व भरतसिंह व रामजीत व हरवीर पुत्रगण चन्द्रभान व देवेन्द्र फौजदार व जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण बदन सिंह निवासीगण ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी ने रात्रि में जे०सी०बी० से उखाड़ दिया है तथा ग्राम के सीधे साधे व्यक्तियों के रंजिशवश नाम बताकर थाना मगोरा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है जो कि झूठे नामों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दिगम्बर सिंह

79

//3//

5- यह कि शपथपत्र की मद सं० 1 लगायत अन्तिम का ज्ञान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरी मदद करे ।

विद्याम्वर सिंह

ह० शपथकर्तागण

ग्रामवासी ग्राम श्यौबा

भाग सीगापट्टी

तह० गोवर्धन जिला मथुरा।

दिनांक-18/12/2024



The Contents of the Affidavit Documents Read over and explained to and by the Advocate who is present by Shri. [Signature] & co. on this day on [Date] at [Place] and signed in the presence of [Name]

ADVOCATE MATHURA

- 1) विजय शर्मा
- 2) रामगोपाल
- 3) बलवीर सिंह
- 4) दकिम सिंह
- 5) नरेश सिंह
- 6) चन्दुकांत
- 7) सली उर्फ सत्यप्रसाद
- 8) अमरकांत सिंह
- 9) प्रदीप सिंह
- 10) जीतनन्द सिंह
- 11) शोभन शर्मा
- 12) मनोसिंह
- 13) प्रदीप सिंह
- 14) Monukumar
- 15) वेदप्रताप
- 16) नरेश सिंह
- 17) शोभन शर्मा

- 18) [Signature]
- 19) [Signature]
- 20) बालकृष्ण सिंह
- 21) अरवि
- 22) हर्ष कुमार
- 23) [Signature]
- 24) शैलवी सिंह
- 25) [Signature]
- 26) [Signature]
- 27) [Signature]
- 28) शरद शर्मा
- 29) [Signature]
- 30) [Signature]
- 31) शोभन शर्मा
- 32) Singh
- 33) शोभन शर्मा
- 34) भगवत सिंह
- 35) नरेश कुमार
- 36) रामजीपाल

सवधि

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय गोवर्धन
जि० मथुरा (उ० प्र०)

मैं दिगम्बर सिंह पुत्र श्री हरिसिंह नि० ग्राम श्योवा भाग - सीगापट्टी तह-
गोवर्धन थाना - मगोरी जि० मथुरा उम्र करीब 35 वर्ष, पेशा - कृषि !
प्राचीन तथा प्राचीन के गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी चकमार्ग
को चिन्हित करने हेतु दिनांक 07-11-2024 को मैमाइश मौके पर करने हेतु
श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया
था। प्राचीन गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधि-
कारी महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-24 पर तहसील गोवर्धन
की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकना 0.9510 है० की मौके
पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त
चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क को चिन्हित कर उसी दिन उसी
समय जी. सी. बी. से उक्त रास्ते की मैड डलावायी एवं रास्ता में जो पेड़ खड़े
थे उनको राजस्व टीम को उपास्थिति में मैड डलावायी। राजस्व टीम
के मैमाइश कर जाने के बाद गाँव के दबंग व्यक्ति चन्द्यमान पुत्र भवर सिंह
व भरत सिंह पुत्र चन्द्यमान व रामजीत पुत्र चन्द्यमान व हरवीर पुत्र चन्द्य-
मान व देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदर सिंह व जतिन्द्र पुत्र बदर सिंह नि० गणेश्यो-
वा भाग सीगापट्टी थाना - मगोरी ने रात्रि में जी. सी. बी. से उक्त पेड़ को
उखाड़ बाधिया था और वन विभाग के कर्मचारी को पीढ़ से गुमराह
कर प्राचीन गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश बश थाना मगोरी
में हमलोगों के विरुद्ध वन विभाग पेड़ों को उखाड़ने की झूठी रिपोर्ट दर्ज
करा दी है जिससे थाना मगोरी से हमारे लिये पाने जाने की सूचना भिज
वायी मय है। जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड़ नहीं उखाड़े हैं। वन
सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक - 18-12-2024

दिगम्बर सिंह प्रार्थी

दिगम्बर सिंह प्र० हरिसिंह
गाँव - श्योवा, सीगापट्टी
पारट - सीख, जिला - मथुरा
मो० न० - 9760302816

(81)

सेवा में

श्री मान कौशिक उपनिवेश अधिकारी मेटादप, गोवर्धन
जिला-मथुरा ५०५०

मैं सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुखार सिंह नि० ग्राम स्योवा, सीगापट्टी
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगरी, जिला-मथुरा उम्र करीब 55 वर्ष
पेशा-कृषि, प्राचीन तथा प्राचीन गाँव के लगभग 10 व्यक्ति ने सरकारी
चकमार्ग को चिन्हित कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 की पैमाइश मौके पर
कराने हेतु श्री मान उपजिलाधिकारी मेटादप गोवर्धन के पट्टी एक प्रार्थना पत्र
दिखा था। प्राचीन गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्री मान
उपजिलाधिकारी मेटादप, गोवर्धन के उत्तर दिनांक 07-11-2024 पर तहसील
गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं० 698 क रकवा 0.3510 हे०
की मौके पर राजस्व टीम तहसील गोवर्धन मथुरा ने दिनांक 07-11-2024 को
उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं०-698 क को चिन्हित कर उसी
दिन उसी समय जे.सी.वी.से उक्त स्थल की मंड इलाची एवं रास्ते में जो
पेड़ खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में मंडे इलाची थी राजस्व टीम
के पैमाइश कर जौने के बाद गाँव के दंगल व्यक्ति चन्द्रभान अ० भकर सिंह
व भरत सिंह व हरवीर सिंह व रामजीत पुत्र गण चन्द्रभान, व देविन्द्र गौजय्यर
व जीतिन्द्र 5% बदन सिंह निवासी गण-गाँव-स्योवा भाग सीगापट्टी, पो० सीख
तहसील-गोवर्धन, थाना-मिगरी, जिला-मथुरा ने जे.सी.वी.से उक्त पेड़ों के
उखाड़वा दिया था और वन विभाग के कर्मचारियों को पिट्टे से गुमराह कर
प्राचीन गाँव के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध राजेश केश थाना मिगरी में हमला
के विरुद्ध वन विभाग ने पेड़ों को उखाड़ने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है।
जिससे थाना मिगरी से हमारे लिए धाने आने की सूचना मिलवायी गयी है।
जब की प्राचीन वन विभाग के पेड़ नष्टी उखाड़े हैं। ध्यान सुनकर तदीक किया

दिनांक-18-12-2024

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश
प्राचीन

सन्तो उर्फ सत्यप्रकाश अ० मुखार
निवासी-स्योवा, सीगापट्टी
पो० सीख थाना-मिगरी, जिला-मथुरा

(82)

सेवा में

श्रीमान श्रीजीप वन उपाधिकारी महोदय, गोवर्धन
जि. ब्रह्मपुरा (उ.प्र.)

में नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह गांव स्यावा
भाग सीतापुरी तहसील गोवर्धन थाना - गंगोरी जि. ब्रह्मपुरा उम्र करीब
48 वर्ष पेशा - कृषि प्रयोग से तथा प्राचीन गांव के लगभग 10 व्यक्तियों
ने सरकारी चक्रभाग को चिन्ह कराने हेतु दिनांक 07-11-2024 को
पैमापत्रा भोके पर कराने हेतु
श्रीमान, उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्रादिना
का प्रार्थना व गांव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय गोवर्धन के आदेश दिनांक - 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की
राजस्व टीम सरकारी चक्रभाग सं. 698 क इकाई 0.9510 हे. की भोके पर
राजस्व टीम तहसील गोवर्धन ब्रह्मपुरा से दिनांक 09-11-24 को उक्त चक्रभाग
की भोके पर चक्रभाग सं. 698 क को चिन्ह कर उसी दिन उही समय
जे.सी.वी. से उक्त शासित की गेड डलवायी एवं शासित में जो पेड रखे
व्य उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में गेड डलवायी थी राजस्व टीम
के पैमापत्रा कर जाने के बाद गांव के दबंग व्यक्ति चक्रभाग पुत्राभर सिंह
भरत सिंह, शमजीत, हरवीर पुत्र गंगा चक्रभान, व देवेन्द्र फौजदार पुत्र वदगकिंद
व जीतेंद्र पुत्र वदन सिंह निवासी गंगा स्यावा भाग सीतापुरी थाना गंगोरी से शासित में
जे.सी.वी. से उक्त पेड को इकाई विभागा और वन विभाग के कर्मचारियों को
पीई से गुमराह कर प्राचीन गांव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रिजिस्ट्रेशन
थाना गंगोरी में लोगों के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के उख डवाने की
शुद्धी रिपोर्ट दर्ज करा दी जिससे थाना गंगोरी से हमारे लिए थाने जाने की सूचना
प्राप्तवापी गयी जबकि प्राचीन वन विभाग के पेड उही उखाड़े हैं वधान सुनकर
तस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

नेत्रपाल सिंह उपाधिकारी उर्फ गुलाब सिंह

निवासी स्यावा, पोस्ट सारंग

Mch. No. 8393937580

में-
श्रीमान

श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, गोवर्धन

जि. अमरा (उ.प्र.)

में पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल गाँव - सूर्योवा भाग सींगापट्टी तहसील गोवर्धन जिला मगहरा जि. अमरा

उम्र करीब 22 वर्ष पेशा शिक्षार्थी- प्राची ने लघु प्राची के गाँव के लगभग 10 व्यक्तियों ने सरकारी चकमार्ग की विवद कराने हेतु दिनांक 07-11-24 को पैमाइश मौके पर कराने हेतु -

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय गोवर्धन के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिनांक प्राची व गाँव के अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय

गोवर्धन के आदेश दिनांक 07-11-2024 पर तहसील गोवर्धन की राजस्व टीम सरकारी चकमार्ग सं. 698 क रकबा 0.3510 है. की मौके पर राजस्व टीम

तहसील गोवर्धन अमरा ने दिनांक 09-11-2024 को उक्त चकमार्ग की मौके पर चकमार्ग सं. 698 क के विवद कर उसी दिन उसी समय जे.सी.जी. से

उक्त रास्ते की भेड डहवापी एवं रास्ते में जो पेड खड़े थे उनको राजस्व टीम की उपस्थिति में भेड डहवापी की राजस्व टीम के पैमाइश कर जान के बाद

गाँव के दबंग व्यक्ति चन्द्रमान पुत्र चन्द्रसिंह, भरत सिंह पुत्र चन्दमान रामजीर पुत्र चन्द्रमान हरवीर, पुत्र चन्द्रमान, व देवेन्द्र फौजदार, जीतेन्द्र पुत्र गण गण सिंह

बिवासी गण सूर्योवा भाग सींगापट्टी जिला मगहरा ने रात्रि में जे.सी.जी. से उक्त पेडों को उखाड़वा दिया था और जनविभाग के कर्मचारियों को पीह से

गुमराह कर प्राची व गाँव के कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध शिर्शा बश पाना मगहरा में हथ लोगो के विरुद्ध वन विभाग से पेडों के उखाड़वाने की भूमी

विपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें पाना मगहरा से हमारे लिए पाना उठाई की सूचना भिजवायी गयी जबकि प्राची व वन विभाग के पेड नहीं उखाड़े हैं पाना सुनकर

तस्वीक किया

दिनांक 18.12.2024

पुष्पेन्द्र प्राची

पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल

जिला सूर्योवा मगहरा

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM बजे घटना स्थल 2. मोवा. जमारा सींगोपूर
 पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध	सेमी	आधे इंच
1-	नीम	140	सेमी	सम्पूर्ण पेड़
2-	"	60	"	"
3-	"	54	"	"
4-	पीपल	60	"	" 0 से 1 घास बर्ग के
5-	शादरत	60	"	" नींबू-27-पेड़
6-	पापूलर	70	"	" करोंदा-22-पेड़
7-	"	86	"	"
8-	"	62	"	" जालोनी लकडी
9-	"	57	"	" वजन लगभग
10-	"	65	"	" 90 kg
11-	जाखन	50	"	"
12-	नीम	70	"	"
13-	"	67	"	"
14-	शादरत	70	"	"
15-	पापडी	48	"	"
16-	पापूलर	62	"	"
17-	2 मिश्रण	44	"	"
18-	नीम	53	"	"
19-	जालोनी लोरा	35	"	"
20-	नीम	70	"	"
21-	"	73	"	"
22-	जाखन	77	"	"
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जालोनी लोरा	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	45	"
25-	"	"	60	"
26-	"	"	67	"
27-	नीम	"	127	"

राजेश कुमार
 21/11/24

11/11/24
 कुशल पाल
 वन रक्षक

85

सुपुर्दगीनामा

मै. चंद्र भाव पुत्र श्री अंबर सिंह निवासी ग्राम १ प्रोवा भाग पोस्ट सोरव
तहसील गोंदवर्दीन थाना मारोरा जिला मधुपुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
को समय लगभग 11:15 AM प्रजे घटना स्थल गांव १ प्रोवा भाग (सीवापस्टी) से
निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी0	अज्ञिपुष्पे	
1-	सीम	140-सेमी0	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	0 से 1 पास करके
3-	"	54 - "	"	नीव-27-पेड़
4-	पीपल	60 - "	"	करोवा-22-पेड़
5-	शहदत	60 - "	"	
6-	पापुला	70 - "	"	जलोनी लकड़ी
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	
9-	"	57 - "	"	कसन लगभग
10-	"	65 - "	"	90 kg
11-	जामुन	50 - "	"	
12-	सीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदत	70 - "	"	
15-	पापुला	48 - "	"	
16-	पापुला	62 - "	"	
17-	शहदत	44 - "	"	
18-	सीम	53 - "	"	
19-	जलोनी लोरा	35 - "	"	
20-	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

21-	सीम	73 - "	"
22-	अर्जुन	77 - "	"
23-	जलोनी लोरा	69 - "	"
24-	" "	45 - "	"
25-	" "	60 - "	"
26-	" "	67 - "	"
27-	सीम	127 - "	"

चंद्र भाव - रजवा

9410446249

कृशव पाल
व.र.

86

नोटिस

सेवा में,

श्री देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

19/03/25
12/03/25

@man 11-03-25
जाँच अधिकारी
वन विभाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

वयान

①

मे इवेंट मीजपार 57 जी एवनसिड विवासी ग्राम 2 भांका
लीगापची तहसील गावचि मजुरा का पुन विवासी
प्राप्त नोटिस के आधार पर मे आज दिनांक 19/3/25 को
वक्त विभाग मथालय गावचि पर उपस्थित हुआ.

मे वयान करता हूँ कि मेरी किली एपीयुमि गाँव 2 भांका मे
है वहाँ पर मेरे द्वारा लगभग 15-20 वर्ष पहले बसरी ल्या
नी गयी बहुत बडा बगीचा मेरे द्वारा वहाँ निमिन्ना प्रकार के
मामदार / धामदार वृक्ष लागे गये के सभी पेड मल व धामदार
के बहुत पक्षी पुन पर विवास करे के सभी मे धोलमे वने
हुने के पर्यावरण वडा अच्छा बना हुआ था.

मगर गाँव कुछ मोगीरीये 211 मद अच्छा न मग रहा हो
व सभिये गाँवके कुछ निम्न निम्नित मोगों के अपने 15-20 मधिये
के साथ नारीय 19-11-2025 को मथान 303 मथीन
मगर पड्या गये और पेडों को उखाडने मगे मे मजुरा रहता
हूँ गाँव मे मेरे चाचा रहे है उन्हीके उन्हे मोगे का माली
पुयास किया मगर वो मडने मरने को हैयात होकर इमडे
आये के चाचा द्वारा मुझे पुयना की गयी मे वन्ही
उस समय मजुरा से वहाट वा मेने 112-70 पर काँन
कर उठिस मे मजा मगर वो तब भी नही मरने से जब म
मोक पर पड्या तब तक के मोग मेरे वजीये के वाली
पेडों को 303-द्वारा उरबडा मुने के और 303-
मुने चली गिली मेरे वडा पड्येन पर मेरे मना
करने के वाचक मे मे मोग वही मने
और मुने मरने पीरने को हैयात के

88

(2)

लयाग

मेरे द्वारा दुबारा वहां पहुंचने पर फिर 112 को काफ़ी
 कर के गुमवाया गया था जब तक की मांग बहुत
 थी संख्या में पैसे को उखाड़ चुके थे
 112 नं. द्वारा उनसे रिक्लाम माफ़ी माँगी गयी थी
 गयी तब मुझे वन विभाग को इसी प्रकार की
 दूसरे दिन वन विभाग के सचिवालय में पर पहुंचे
 तो सिंग सिमिट मांगो के रिक्लाम वन विभाग द्वारा
 पैसे भी भुची बनाकर कर माँगी गयी थी
 अर्थात् जो मांग पैसे को उखाड़ रहे पिछले से जाना था
 उनसे माफ़ सिंग सिमिट

- 1 - सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्तारी निवासी 2 थोका
- 2 - नंग पाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 2 थोका
- 3 - पुष्पेन्द्र पुत्र नंग पाल उर्फ 2 थोका
- 4 - दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उर्फ 2 थोका
- 5 - सोसनीर उर्फ रीशू पुत्र रामचन्द्र उर्फ 2 थोका
- 6 - वंदप्रसाद पुत्र दिगम्बर उर्फ 2 थोका

अथ 15-20 लाखों के लाख में पर
 सिंगे के

19/03/2025

देवेंद्र मीनदार डी वन सिंह
 निवासी उर्फ 2 थोका सीतापूर
 mob - 9837049037

89

नोटिस

सेवा में,

श्री चन्द्रभान पुत्र भँवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौंख तहसील गोवर्धन, मथुरा।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या संख्या 15/गो0/2024-25 दिनांक 21.11.2024 व 17/गो0/2024-25 दर्ज हुए हैं। विभाग द्वारा की कार्यवाही में निष्पक्ष जाँच हेतु बतौर जाँच अधिकारी मैं आपको बजरिये नोटिस इत्तिला करता हूँ कि उक्त प्रकरणों में आप दिनांक 19.03.2025 को कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी गोवर्धन रेंज (जतीपुरा रोड़ राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज के सामने गोवर्धन) पर समय 11:00 AM बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष/बयान मय साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें जिससे ससमय निस्तारण किया जा सके।

रुक प्रती प्राप्त की-

यंत्रणा

12-03-2025

@man 11-3-25

जाँच अधिकारी
वन भाग अधिकारी
गोवर्धन रेंज
मथुरा

जवडा

मं - चन्द्रमालासिंह पुत्र श्री मंवर सिंह किसानी ग्राम रूथोवा
 सीगां पंथी का बिकाली हूँ मुझे वन विभाग गौवर्द्धन द्वारा
 लुनापा गावा से आज दिनांक 19/03/25 को मथालप में
 उपस्थित हुआ और तारीख 19/11/24 को मेरे खेत पर से
 उखाड़े गये पीछे पेड़ों से बगैरे से वधान दर्ज मसौदा है
 तारीख 19/11/24 को अमानत गांव से कुछ भाग
 सखीट उर्ल सतो पुत्र मुखत्यार . नंग पाल पुत्र श्याम उर्ल गुलाब
 पुष्पेण उर्ल पुष्पी पुत्र नंगपाल . दिगम्बर पुत्र एही सिंह
 एवं शोभावीट उर्ल शिशु पुत्र रामचन्द्रप लकी बिकाली शयला
 अपने अन्य 15-20 साक्षियों के साथ मेरे महीने देवेन्द्र
 की नकली से 200-से पेड़ों को उखाड़ रहे थे
 मैं भी तो पट गया मैंने बहुत बारा मना किया कि पेड़ों को
 मत उखाड़ो मगर वो लोग उस से लड़ने मात्रे तो
 तैपार हो गये मेरे बहुत बारा मना करने पर भी नही माने
 और नकली से मगर मेरे खेत से भी जितने पेड़ थे
 उन्हे जबरदस्ती 200-द्वारा वन लोगों ने उखाड़ दिये
 मेरे द्वारा लोग से अपने महीने देवेन्द्र को भी पूछना ही
 उसने 112-पुष्पी लुमरि का सिंह मीनकी माने तब उसने
 वन विभाग को पूछना ही तो वन विभाग लोगों आये
 और आगे भी माफवादी गयी -

चन्द्रमाला
 19-03-2025

चन्द्रमाला S/O. श्री मंवरसिंह
 ग्राम - रूथोवा (लीगापडर))
 फोन नं० - 9410446249-

बयान

मधेदम, जे कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरी/सडीग गोवर्धन रेज साठवाठ वन प्रभाग मधुरा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेज कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर हमरादारी राधेश्याम वन रक्षक नीमगांव वन वीट गोवर्धन रेज वन प्रभाग मधुरा के सामे घटनास्थल, स्वसम सं 698 क मोजा शोवा प्रभाग सीगापट्टी तहसील गोवर्धन पर समथ लगभग 10.40 बजे सुबह पहुँचे तो पाया गया कि-चक्रमार्ग 698 क के किनारे पर पेड व फोबो जड से उखड़े पेडे है और चक्रमार्ग पर लाजा भिट्टी दोने किनारे से जे 0 सी० बी० काय डलवापी गयी है ओके पर उखड़े पेडे पेड फोबो की गणना व माप की गयी तो पाया 09 पेड नीम गोलार् क्रमशः 140, 60, 54, 67, 70, 53, 70, 73, 127 से 0 मी० 01 पेड पीपल 60 से 0 मी० 02 पेड शहदत 60, 70, से मी० 06 पेड फाण्डल 70, 86, 62, 57, 62, 65 से 0 मी० 01 पेड आमुन 50 से 0 मी० 01 पेड पापरी 48 से 0 मी० 01 पेड शीसम 44 से 0 मी० 05 पेड चूलीकोरा 35, 89, 45, 60, 67 से 0 मी० 01 पेड सजुन 77 से 0 मी० कुल पेड 27 तथा 27 नीख के झाडीनुमा फोबो व करोंदा के 22 झाडीनुमा फोबो मिले ओके पर कई बरामदगी बनाकी गयी और जाम पास घुटाह कर उक्त अपराध करने वाले (आक्रोश) के नाम पता ज्ञात कि ये तथा अपराध और साक्षिपुक्तो की पुष्टि कर पुरत विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 21/11/2024-25 दर्ज किमा गया तथा साक्षिपुक्त 1- रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि०-मडार पोस्ट सोरव थाना मगोरी (2) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र सुखलाल (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गुलाब सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे निवासी गुण ग्राम शोवा प्रभाग सीगापट्टी पोस्ट सोरव थाना मगोरी के विरुद्ध तहसीर थाना मगोरी से ही गयी तथा अपराध (F.I.R) सं 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को सुरविर खास से सूचना मिली कि ग्राम शोवा मे चक्रमार्ग संख्या 698 क के दोनो तरफ बम्बा साइड जे उखड़े पेडो को उपरोक्त साक्षिपुक्तो के द्वारा पुनः पेडो को जे.सी.वी. से उखड़ा गया है जे स्वयं हमरादारी राधेश्याम वन रक्षक के साथ घटनास्थल पर समथ लगभग 8:00 बजे सुबह पहुँचा तो पाया कि-चक्रमार्ग के किनारे बम्बा की तरफ जे 0 सी० बी० अशीन से उखाड़ा गया है तथा चक्रमार्ग पर भिट्टी डाली गयी है ओके पर पेडे पेडो की गणना व माप की गयी तो पाया कि 08 पेड नीम गोलार् क्रमशः 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 से 0 मी० 03 पेड पापरी गोलार् 122, 100, 140 से 0 मी० 02 पेड चूलीकोरा गोलार् 68, 80 से 0 मी० 01 पेड होकर गोलार् 92 से 0 मी० कुल पेड 14 पाये गये जाम पास घुटाह करने पर पता चलना कि ग्रह 14 पेड भी साक्षिपुक्त (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिधे (2) सतवीर उर्फ सतलो पुत्र सुखलाल (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिधे उर्फ गुलाब सिधे (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरीसिधे के द्वारा ही पुनः जे 0 सी० बी० से उखड़ाये है अपराध और साक्षिपुक्तो की पुष्टि कर उक्त साक्षिपुक्तो विरुद्ध विभागीय वन अपराध सं 12/गोवर्धन/2024-25 दिनांक 08/12/2024 तथा तहसीर थाना मगोरी से इकर मुकदमा दर्ज किमा गया उक्त साक्षिपुक्तो के द्वारा दो बार अलग-अलग दिनांक व समथ से रक ही घटनास्थल पर से बिना पूर्वनिर्गत प्राप्त कि ये उखड़े रूप से 41 पेड व नीख के 27 झाडीनुमा फोबो व करोंदा के 22 झाडीनुमा फोबो को चक्रमार्ग पर दोनो किनारे से भिट्टी जे 0 सी० बी० से खोदकर डलने के दोरान उखड़ा कर ज० प्र० वल संरक्षण अधिकिपम 1976 की धारा 4 व 10 तथा माननीय उच्च तम-शापनाम की रिट पेटिशन 1238/1984 रजम.सी. से दता बनाम भारता संघ से प्रोचित सारि.रज संख्या 527 जे पाति (F.I.R) के वृत्तों के सर्वेध पातन से सम्बन्धित) आदेश दिनांक 08/05/2015 की अनुमानना करने का खुला सेगीन अपराध किमा है उक्त दोनो घटनाओं में उखाड़े गये सभी 41 पेडो की सम्पत्त लकडी रकव नीख के 27 फोबो झाडीनुमा और करोंदा के 22 झाडीनुमा फोबो की जलाज लकडी वर्तमान में लकडी की साक्षिरत्ना में ररवी है। घटी मेरे बयान है।

बयानकर्ता
 12/03/25
 (कुशलपाल सिधे वनरत्न वन वीट मगोरी/सडीग गोवर्धन रेज वन प्रभाग मधुरा)

92

भदोवन

वयान

में शिवेशम वन रक्षक (वीट-नीम गाँव) रेंज गोवर्धन सां.वा. वन प्रभाग मथुरा शपथ पूर्वक वयान करवाएँ कि दिनांक 21/11/2024 को रेंज कार्यालय से छाष्ट सूचना के आघ्राट पर वारी कुरातपाल सिंह वन रक्षक वन वीट भगौरा, रेंज गोवर्धन के साथ घटना स्थल स्वरा सं० 698 क मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी तहसील गोवर्धन पर समय लगभग 10:40 बजे भुवह पहुँचे तै पाया कि थकमार्ग स्वरा सं० 698 की ताजा सफाई करायी गयी है तथा दोनों किनारे से ताजा मिट्टी डगवायी गयी है और थकमार्ग के किनारे पेड उरकडे पेडे है। मौके पर उरकडे पेडों की माप व गणना करायी गयी तै मौके पर 09 पेड नीम गौलर कमरा: 140, 60, 54, 70, 67, 53, 70, 73 सं० मी० व 127 सं० मी०-01 पेड पीपल 60 सं० मी० 02 पेड शहरत 60, 70 सं० मी०, 06 पेड पापूल 70, 86, 62, 57, 62, 65 सं० मी० 01 पेड पापुन 50 सं० मी० 01 पेड पापडी 48 सं० मी० 01 पेड शौरम 44 सं० मी० 05 पेड ल्यूनी क्लोरे 35 सं० मी० 89 सं० मी० 45 सं० मी० 60 सं० मी० 67 सं० मी० 01 पेड अर्चन 77 सं० मी० कुल पेड 27 तथा नीबू के 27 झाडी गुमा पौचे और करौदा के 22 झाडी गुमा पौचे उरकडे हुये पाये गये मौके पर कई वरामगगी बनायी और आस-पास पूढताइ की गयी पूढताइ में अग्निमुक्तों का नाम पदा ग्राह किया गया तै पता चला कि उक्त 27 पेड व उक्त झाडी गुमा पौचे अग्निमुक्तों से रवेन्द्र उग्र डेम सिंह सं० मदार पौस्ट सेरव थाना भगौरा जिला मथुरा ① सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यल्लारा पुत्र मुखव्याट ② नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह ③ कुबेन्द्र पुत्र नेत्रपाल ④ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गद्य ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सेरव थाना भगौरा जिला मथुरा के द्वारा थकमार्ग की सफाई व लै० ली० मशीन से थकमार्ग पर मिट्टी डगवाने के दौरान खडे दोन उरकडवाया है अपराध और अग्निमुक्तों पुष्टि हेतु पर उरकट विभागीय वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 उक्त अग्निमुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तथा तहसील थाना भगौरा में देनरफ्त आर्. आर. सं० 0341/2024 दिनांक 22/11/2024 दर्ज करायी गयी दिनांक 08/12/2024 को मुखविये स्वास से सूचना मिलने पर पता चला उक्त सभी अग्निमुक्तों के द्वारा उक्त थकमार्ग के किनारे से वरामा की लकड़ पुना कुह पेड लै० ली० से उरकड वा दिये है। तै में वी कुरातपाल सिंह वन रक्षक के साथ पुन उक्त घटना स्थल पर पहुँचे तै पाया कि 08 पेड नीम गौलर कमरा: 106, 78, 108, 105, 98, 155, 120, 125 सं० मी० 03 पेड पापडी सं० 122, 100, 140 सं० मी० 02 पेड ल्यूनी क्लोरे सं० 68, 80 सं० मी० तथा 01 पेड डोकोर गौलर-52 सं० मी० कुल पेड-14 पेडों की कई वरामगगी बनायी गयी तथा अपराध और अग्निमुक्तों की पुष्टि कर विभागीय वन अपराध सं० 17/गोवर्धन/2024-25 दिनांक-08/12/2024 दर्ज कर तहसील थाना भगौरा में रफ्त आर्. आर. दर्ज कराने हेतु की गयी। इस तरह उक्त अग्निमुक्तों ① रवेन्द्र उग्र डेमसिंह ② सतवीर उर्फ सलो उर्फ सत्यल्लारा पुत्र मुखव्याट ③ नेत्रपाल पुत्र श्यामसिंह उर्फ गुलामसिंह ④ कुबेन्द्र पुत्र नेत्रपाल ⑤ दिगम्बर पुत्र हरीसिंह निवासी गद्य ग्राम शयौवा भाग सीगा पट्टी पौस्ट सेरव थाना-भगौरा जिला मथुरा के द्वारा घटना स्थल थकमार्ग स्वरा सं० 698 मौजा शयौवा भाग सीगा पट्टी के दोनों किनारों पर खडे पेडों की थकमार्ग पर मिट्टी रवीन्द्र उरकडवाने के दौरान कुह 41 पेड तथा नीबू के 27 व करौदा के 22 झाडी गुमा पौचों का कामरा: अलग-अलग समय और दिनांक को विना ध्वनिगति छह छिपे अवैध रूप से उरकडवा कर कु० कु० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 44/10 तथा मा० उच्चतम-धामल्य की रिट दिशेशन सं० 13381/1984 उच्च-सी. नैदल वनाम अरत संघ में दापट आर्. सं०-527 में वृक्षों के अवैध पातन (सी० डी० लेड० अर्नरगत) से सम्बन्धित पारित आदेश दि०-08/05/2015 की अनुमानना का अपराध किया है। यही मेरे वयान है

दिनांक - 12/03/2025

वयानकर्ता
 (शिवेशम वन रक्षक (वीट-नीम गाँव)
 रेंज गोवर्धन वन प्रभाग मथुरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन रेंज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा



पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,


श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:-

दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय



क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
4. श्री चन्द्रभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय


क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा P.S. (थाना): मगोरा Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): गुरुवार Date from (दिनांक से): 21/11/2024 Date To (दिनांक तक): 21/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 056 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2024 22:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 11 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):
- (b) Address (पता): ग्राम श्योबा ,भाग नैनूपट्टी
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
- (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-75953XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़ उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़ शीशम गोलाई 44, 5 पेड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-1) व्यास वर्ग के पेड़-पौधे उखड़े मिले। फर्द बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये हैं। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No (s).13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 78953XXXXX एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट में है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): Ravindra Kumar Yadav अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403945

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण**Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.):** CD1**Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):****FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):** 0341**Date (दिनांक):** 22/11/2024**District/Unit (जिला/इकाई):** मथुरा**P.S. (थाना):** मगोरा**1. a) General Information (सामान्य जानकारी)****b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक):** 23/11/2024**c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय):** 10:30 बजे**d) End time of Investigation (जांच अंत समय):** 17:00 बजे**Places Visited (स्थानों का दौरा किया):** मुताविक सीडी।**e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):**

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)**S.No.(क्र.सं.)** 1**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

been

A

04

95

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त थाना हाजा पर पंजीकृत होकर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के मुझ विवेचक को सुपुर्द हुई। ग्रहण कर सम्पादित की गयी। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अपराध विवरण पत्र**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****Street Name**

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :**f) Description(विवरण) :**

नकल चिक नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा

। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योचा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखडे मिले। फर्द बरामटगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामट लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़लील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट मै है0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : एफआईआर दर्ज
 b) Witness Name(गवाह का नाम) :
 c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
 d) Age(उम्र) :
 e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल रपट कायमी इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपर्दगीनामा लकडी व फर्ट बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि० गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीव 11 किमी० दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्रा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो० उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे । तक्मीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्ट बरामदगी व सुपर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार सिंह करेगे ।

98

S.No.(क्र.सं.) 4**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का एफआईआर लेखक थाना परिसर में मौजूद है। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 5**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

११

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

बयान एफआईआर लेखक है0का0 1550 गिरजेश कुमार पुत्र श्री लज्जा राम नि0 नगला सिंहमन थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद पी0एन0ओ0 न0 062241410 मो0 न0 9411020191 हाल तैनात थाना मगोरा जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 22.11.2024 को मेरी झूटी थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 वनाम 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पौधे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तपतीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 आपको सुपुर्द की गयी । वादी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रुकसत किया गया । नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते आपको दी गयी । यही मेरा बयान है ।

(97) (100)

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ। नकल कर संलग्न सीडी किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 7

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल सुपुर्दगीनामा मैं चन्द्रभान पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग (सींगापट्टी) पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.15 बजे घटनास्थल गांव श्योबा भाग सींगापट्टी से निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भई मा० न्यायालय या वन विभाग उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है: क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम व पता मोबाइल नंबर चन्द्रपाल स्योबा 9410446249 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम कुशलपाल व०र०

98
102

S.No.(क्र.सं.) 8

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल बरामदगी आज दिनांक 21.11.2024 को समय लगभग 11.00 बजे घटनास्थल श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड़ के किनारे पर कटी पड़ी लकड़ी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र०सं० 1 प्रजाति नीम गोलाई सेमी० 140 सेमी० अभियुक्ति सम्पूर्ण पेड 2 नीम 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 3 नीम 54 सेमी० सम्पूर्ण पेड 4. पीपल 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 5. शहतूत 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 6. पापूलर 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 8. पापूलर 86 सेमी० सम्पूर्ण पेड 9. पापूलर 57 सेमी० सम्पूर्ण पेड 10. पापूलर 65 सेमी० सम्पूर्ण पेड 11. जामुन 50 सेमी० सम्पूर्ण पेड 12. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 13. नीम 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 14. शहतूत 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 15. पापडी 48 सेमी० सम्पूर्ण पेड 16. पापूलर 62 सेमी० सम्पूर्ण पेड 17. शीशम 44 सेमी० सम्पूर्ण पेड 18. नीम 53 सेमी० सम्पूर्ण पेड 19. ज्योली प्लोरा 35 सेमी० सम्पूर्ण पेड 20. नीम 70 सेमी० सम्पूर्ण पेड 21. नीम 73 सेमी० सम्पूर्ण पेड 22. अर्जुन 77 सेमी० सम्पूर्ण पेड 23. ज्योली प्लोरा 69 सेमी० सम्पूर्ण पेड 24. ज्योली प्लोरा 45 सम्पूर्ण पेड 25. ज्योली प्लोरा 60 सेमी० सम्पूर्ण पेड 26. ज्योली प्लोरा 67 सेमी० सम्पूर्ण पेड 27. नीम 127 सेमी० सम्पूर्ण पेड गवाह हस्ताक्षर नाम व पता राधेश्याम व०र० जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर 0 से 1 व्यास वर्ग नीव 27 पेड करोंदा 22 पेड जलोनी लकड़ी बाजन लगभग 90 kg बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर कुशलपाल वन संरक्षण

103

S.No.(क्र.सं.) 9

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name

(गली का नाम) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से मो0 न0 7895373793 से दूरभाष सम्पर्क किया गया तो वादी ने बताया कि अभी किसी कार्य सरकार में व्यस्त हूँ, समय मिलते ही आपके पास आकर बयान दर्ज करा दूँगा।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

99
104

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 23/11/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 23/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
23-11-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted P.P.

Dinesh
24.11.24

106

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 22/11/2024 Time (समय): 22:19 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 056 Date & Time 22/11/2024 22:19 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. पश्चिम, 11 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम श्योबा, भाग नैनूपट्टी
(पता):(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): कुशलपाल वनसंरक्षक
 (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम)
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979
 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की तिथि):
 Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	गोवर्धन रेन्ज,गोवर्धन,मथुरा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):


(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7595373793

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	रवेन्द्र		का नाम : प्रेमसिंह	1. गाँव भदर, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	सतवीर उर्फ सतो		पिता का नाम : मुख्त्यार	1. ग्राम श्यौबा भाग नैनूपट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
3	नेत्रपाल		पिता का नाम : श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
4	पुष्पेन्द्र		पिता का नाम : नेत्रपाल	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
5	दिगम्बर		पिता का नाम : हरी सिंह	1. श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्यौबा भाग सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखडे मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः 140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पेड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (0-1) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (0-

1109

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

1) व्यास वर्ग के पेड-पौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोरा जिला मथुरा की सुपर्दगी में दी गयी, सुपर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता - ग्राम - दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो 7895373793 एसडी अग्रेजी अपठनीय प्रार्थी (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा एसडी अग्रेजी अपठनीय अनुभाग अधिकारी गोवर्धन नोट नै है 0का0 1550 गिरजेश कुमार प्रमाणित करता हू कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Ravindra Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): Yadav (पद):

No. 972140517 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

District

(ज़िला):

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी !!)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS Magorra

Rank I (Inspector)

No. 9454403945



General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मगोरा

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/11/2024 22:19 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): PS Magorra

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

कायमी मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0

7. G.D. Brief

इस समय थाना हाजा पर श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा ने उपस्थित थाना आकर एक कित्ता तहरीर हिन्दी टाइप शुदा मय सुपुर्दगीनामा लकडी व फर्द बरामदगी सम्पत्ति ब्यौरा के वावत अभि0 गण 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्येन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पोछे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि0 दिनांक घटना 21.11.2024 समय अदम तहरीर दिनांक सूचना व समय तारीखी इमरोजा कायमी रपट हाजा घटना स्थल ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी व फासला करीब 11 किमी0 दिशा पश्चिम हल्का चौकी सौख वामुद्देयत श्री कुशलपाल सिंह वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज प्रयाग मथुरा वनाम 1. रवेन्द पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्येन्द पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा द्वारा सरकारी वनविभाग की जगह मे लगे हरे पेड पोछे उखाड कर फेंक देने के सम्बन्ध मे तफ्तीशी अभियोग पंजीकृत किया एवं कराया गया विवेचना हस्व आदेश एसएचओ महो0 उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे। तक्मीला दर पेश है डेली जरायम रवाना होगी घटना की सूचनाअफसरान वाला को द्वारा आरटी सेट से अफसरान वाला को दी जा रही वाटी को एफआईआर की प्रति देकर सादर रक्कसत किया गया। नकल चिक नकल रपट मय फर्द बरामदगी व सुपुर्दगीनामा लकडी वास्ते विवेचना उ0नि0 श्री रविन्द कुमार सिंह करेगे।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 22/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 5454403945

सुपुर्दगीनामा

मै. चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जयदेव सिंह निवासी ग्राम श. मोला भाग पोस्ट मोरवा
 तहसील मोरवा जिला मोरवा का मूल निवासी हूँ दिनांक 21/11/2024
 को समय लगभग 11:15 AM बजे घटना स्थल मोरवा श. मोला भाग (सीवापल्ली) से
 निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जब भी मा0 न्यायालय या वन विभाग
 उक्त सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को माँगेगा तो मैं बिना हर्जे खर्चे के वहाँ-तक पहुँचाऊँगा।

सम्पत्ति/प्रकाष्ठ का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई/सेमी0	अधिपत्ती	
1	सीम	140-सेमी0	सम्पूर्ण पेड़	
2	"	60 - "	"	0 से 1 पास करी
3	"	54 - "	"	नीवू-27-पेड़
4	पीपल	60 - "	"	करी 9-22-पेड़
5	शहदर	60 - "	"	
6	पापुल	70 - "	"	जलोनी लकड़ी
7	"	86 - "	"	
8	"	62 - "	"	काम लगभग
9	"	57 - "	"	90 kg
10	"	65 - "	"	
11	जामुन	50 - "	"	
12	सीम	70 - "	"	
13	"	67 - "	"	
14	शहदर	70 - "	"	
15	पापुल	48 - "	"	
16	पापुल	62 - "	"	
17	शहदर	44 - "	"	
18	सीम	53 - "	"	
19	जलोनी लकड़ी	35 - "	"	
20	सीम	70 - "	"	

सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
 नाम व पता मोबाईल नम्बर

सुपुर्दगी देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम व पदनाम

21	सीम	73 - "	"	"
22	शहदर	77 - "	"	"
23	जलोनी लकड़ी	69 - "	"	"
24	" "	45 - "	"	"
25	" "	60 - "	"	"
26	" "	67 - "	"	"
27	सीम	127 - "	"	"


 अनुभव पाल
 व.र.

सुपुर्दगी - मोरवा

9410446249

फर्द बरामदगी

आज दिनांक 21/11/2024 को समय लगभग 11:00 AM को घटना स्थल श्रीगोवा जमाया सीमा पर
पट्टी के किनारे पर पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष
 संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रजाति	गोलार्ध स्टेमीठ	आपेक्षित	
1-	नीम	140 - स्टेमीठ	सम्पूर्ण पेड़	
2-	"	60 - "	"	
3-	"	54 - "	"	
4-	पीपल	60 - "	"	0 से 1 व्यास वर्ग
5-	शहदरत	60 - "	"	रीवू-27-पेड़
6-	पापुलर	70 - "	"	करोड़ा-22-पेड़
7-	"	86 - "	"	
8-	"	62 - "	"	जालोनी लकडी
9-	"	57 - "	"	वजन लगभग
10-	"	65 - "	"	90 kg
11-	आरुन	50 - "	"	
12-	नीम	70 - "	"	
13-	"	67 - "	"	
14-	शहदरत	70 - "	"	
15-	पापडी	48 - "	"	
16-	पापुलर	62 - "	"	
17-	शहदरत	44 - "	"	
18-	नीम	53 - "	"	
19-	जालोनी लकडी	35 - "	"	
20-	नीम	70 - "	"	
21-	"	73 - "	"	
22-	आरुन	77 - "	"	
23-	गवाह हस्ताक्षर नाम व पता	जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता	"	बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर
24-	"	"	"	
25-	"	60 - "	"	
26-	"	67 - "	"	
27-	नीम	127 - "	"	

शहदरत
 व-र

11/11
 कुशल पांडा
 वन रक्षक



Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD2
Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341 Date (दिनांक): 22/11/2024
District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा
P.S. (थाना): मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)
- b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण 27/11/2024
दैनिकी तैयार करने की दिनांक):
- c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे
- d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 19:30 बजे
Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0
1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय
22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज
गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2)
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र
नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

- a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य
- b) Witness Name(गवाह का नाम) :
- c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :
- d) Age(उम्र) :
- e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 1 दिनांक 23.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त का वादी व वन रक्षक राधेश्याम हस्व तलब थाना उपस्थित हुआ। पूछताछ कर बयान दर्ज किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि0 दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा मो0 न0 7895373793 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड नीम जिनकी गोलाई क्रमशः

140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड पीपल गोलाई 60, 2 पेड सहतूत गोलाई 60.70, 6 पेड पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड जामुन गोलाई 50. 1 पेड पापडी गोलाई 48. 1 पेड शीशम गोलाई 44, 5 पड ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड अर्जुन 77 सेमी कुल 27 पेड तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेडपौधे उखड़े मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो संलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मगोर्ग जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा संलग्न है तथा आस पास पूछने पर जात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मगोर्ग जिला मथुरा के द्वारा उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).

13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में
दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा
बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री राधेश्याम वन रक्षक (बीट नीमगांव, गोवर्धन) पुत्र श्रीराम नि0
गांव भैंसा थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा मो0 न0 8791315814 हाल तैनात वन संरक्षक
गोवर्धन जनपद मथुरा ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को कार्यालय से प्राप्त
शिकायत के आधार पर मैं व श्री कुशलपाल वनरक्षक के साथ घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग
सीगापट्टी पर समय लगभग 10:40 एम बजे पहुँचे तो देखा कि चकरोड के किनारे पर हरे पेड़
उखड़े मिले जिनकी नपत की गयी तो 9 पेड़ नीम जिनकी गोलाई क्रमशः
140.60.54.70.67.53.70.73.1271 पेड़ पीपल गोलाई 60, 2 पेड़ सहतूत गोलाई 60.70, 6
पेड़ पापुलर 70.86.62.57.62.651 पेड़ जामुन गोलाई 50. 1 पेड़ पापडी गोलाई 48. 1 पेड़
शीशम गोलाई 44, 5 पड़ ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 35.89.45.60.67. 1 पेड़ अर्जुन 77 सेमी कुल
27 पेड़ तथा 27 पौधे नीबू (01) व्यास वर्ग. 22 पौधे करौजा (01) व्यास वर्ग के पेड़पौधे उखड़े
मिले। फर्ट बरामदगी मौके पर चनायी गई जो सलग्न है बरामद लकड़ी को चन्दभान पुत्र भंवर सिंह
निवासी ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गौरा जिला मथुरा की
सुपुर्दगी में दी गयी, सुपुर्दगीनामा सलग्न है तथा आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेड़ों को 1.
रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम नदार पोस्ट सीख तहसील गोवर्धन थाना मौरा जिला मथुरा 2.
सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार 3 नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल



5 दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मगोरा जिला मथुरा के द्वारा उखडवाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s). 13381/1984 M.C. MEITA VERSUS UNION OF INDIA ORS IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08. 05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी से घटनास्थल का निरीक्षण कराने हेतु कहा गया तो वादी तैयार है वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। हस्व निशान देही वादी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 6

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अपराध स्थल परीक्षण

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :



House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

निरीक्षण घटनास्थल घटनास्थल ग्राम श्योबा में नव निर्मित रास्ता का है। घटनास्थल को चिन्ह A व B से दर्शाया गया है घटनास्थल के उत्तर दिशा में खेत हितेन्द्र पुत्र श्री बच्चु सिंह दक्षिण में गांव श्योबा को रास्ता जाता है पूरव में खेत हेमन्त पुत्र खजान सिंह एवं ओमप्रकाश पुत्र सोरन सिंह व विनोद पुत्र भगवत व कुवेद सिंह पुत्र शंकर लाल तथा वेदपाल पुत्र दिगम्बर सिंह के स्थित हैं। पूरव दिशा में सौख मथुरा रोड़ स्थित है। जिसका अक्षांश 27.4333 व देशांत 77.51572 है। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। वाद नक्शा नजरी संलग्न सीडी किया जाता है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

102
1.20

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 27/11/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commeted By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 27/11/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram si
27-11-024

Sir

Submitted Pl-

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक


No. (सं.): 972140517

Done
28.11.24

सु० अ० सं० ०३४१/०२४ धारा + ११० उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम १९७६ धारा ३(क) अन्वये। मयूर

Lat. २७.५३२३

Long. ७७.५१५७२



Interloc: धरना स्थल गा० ह्योता धारा मयूरी मयूर के जंगल का है धरना स्थल जहाँ पेड़ डबड़/काटे को चिन्ह A B के रूप में दर्शाया गया है जो खेत देवेन्द्र व पञ्चमान का है।
 ② धरना स्थल के इतर में खेत हितेश व पश्चिम दिशा में नया राजसूय पंचरोड ह्योता का जाता है पश्चिम दिशा में खेत हेमन्त, श्रीम प्रकाश, विनोद कुतेर सिंह, व वेदपाल के लिए है। तथा पूर्व दिशा में सोखल मयूर का जाता है लिखल है।

विवरण
 राजसूय
 मयूर
 १०. मयूरी मयूर

122

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD3

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.):0341

Date (दिनांक):22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना):मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 09/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:00 बजे

d) End time of Investigation(जांच अंत समय): 15:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

A

009

House No.
(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name
(गली का नाम) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 2 दिनांक 27.11.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.
(मकान संख्या) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

Street Name
(गली का नाम) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

State (राज्य) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा वादी चौकी सौख पर उपस्थित आये हैं जिन्होंने मुकदमा उपरोक्त में पूर्व फर्द बरामदगी से अलग पेड काटे जाने के सम्बन्ध में एक फर्द बरामदगी की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र

व अन्य प्रपत्र मुझ विवेचक को प्राप्त कराये है। जिसका अवलोकन कर संलग्न सीडी किया जाता है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन प्रार्थना पत्र सेवा में, प्रभारी निरीक्षक थाना मगोरा। महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राधेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125. 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 सेमी कुल 14 पेड उखड़े मिले। उखड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकड़ी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सीगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन थाना मयौरा जिला मथुरा के द्वारा जेसीबी द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10.का उल्लघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).



13381/1984 .. VERSUS UNION OF INDIA ORS LA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है। अतः महोदय से निवेदन है ऊक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। स्थायी पता : ग्राम दौलतपुर बसाऊ, पोस्ट व थाना नौहड़ील, जिला मथुरा मो0 7895373793 हस्ताक्षर अपठनीय अनुभाग अधिकार गोवर्धन प्रार्थी हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज, प्रभाग मथुरा।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

अवलोकन फर्ड बरामदगी फर्ड बरामदगी आज दिनांक 08.12.2024 को समय 09.00 बजे घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड किनारे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा क्र0सं0 1 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 106 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 2 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 78 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 3 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 108 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 4 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 105 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 5 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 98 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 6 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 155 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 7 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 120 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 8 प्रजाति नीम गोलाई से0मी0 125 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र0सं0 9 प्रजाति पापडी गोलाई से0मी0 122 लम्बाई से0मी0 अभियुक्त

128

सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 10 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 100 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 11 प्रजाति पापडी गोलाई से०मी० 140 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 12 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 68 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 13 प्रजाति प्रोसोपिस ज्यू गोलाई से०मी० 80 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष क्र०सं० 14 प्रजाति छोंकर गोलाई से०मी० 92 लम्बाई से०मी० अभियुक्त सम्पूर्ण वृक्ष नोट: लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है। गवाह हस्ताक्षर नाम व पता हस्ताक्षर अपठनीय (राधेश्याम) बनरक्षक गोवर्धन रेंज जिससे सम्पत्ति बरामद की गयी है उसके हस्ताक्षर नाम व पता बरामद करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर अपठनीय (कुशलपाल) वनरक्षक गोवर्धन रेंज।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त के वादी वनरक्षक कुशलपाल को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा जहाँ प्राप्त करायी फर्द बरामदगी की छायाप्रति के अनुसार पेड़ों की जड़ों को दिखाया जिस पर नंबरिंग पड़ी है।

124

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 09/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 09/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted PL

10.12.24
SHO

Ravindra Kumar Yadav
09-12-2024

सेवा में,

128

प्रभारी निरीक्षक

थाना मर्गोरा।

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक 08.12.2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे मुखविर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी चकरोड के किनारे बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े गये है। सूचना पर तत्काल मैं हमराह श्री राघेश्याम वनरक्षक के साथ ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पहुँचे। तो देखा कि पूर्व में उखाड़े गये पेडों के अतिरिक्त बम्बा की तरफ कुछ पेड उखाड़े मिले। जिनकी नपत की गयी जो 8 पेड नीम गोलाई 106,78,108, 105,98,155,120,125, 3 पेड पापडी गोलाई 122,100,140 तथा 2 पेड प्रोसोपिस ज्यूलीपलोरा गोलाई 68,80, 1 पेड छौंकर गोलाई 92 से0मी0 कुल 14 पेड उखाड़े मिले। उखाड़े पेडों की फर्द बरामदगी मौके पर बनायी गयी संलग्न है। तथा बरामद लकडी को सौख कोठी नर्सरी पर रखवाया जा रहा है आस पास पूछने पर ज्ञात हुआ कि उक्त पेडों को 1. रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम भदार पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा 2. सतवीर उर्फ सत्तो पुत्र मुखत्यार 3. नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह 4. पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल 5. दिगम्बर पुत्र हरी सिंह उक्त निवासीगण ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट सौख तहसील गोवर्धन थाना मर्गोरा जिला मथुरा के द्वारा जे0सी0बी0 द्वारा लगभग 3 या 4 दिन पूर्व उखाड़वाये गये है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 का उल्लंघन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Taj Trapezium Zone (T.T.Z) में Write Petition(s) (Civil) No(s).13381/1984 M.C. MEHTA VERSUS UNION OF INDIA & ORS - IA No. 527 में दिये गये आदेश दिनांक 08.05.2015 की अवमानना के तहत अपराध किया है।

अतः महोदय से निवेदन है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

स्थायी पता :-

ग्राम - दौलतपुर बसाऊ,

पोस्ट व थाना - नौहडलील, जिला - मथुरा

मो0 - 7895373793

प्रार्थी


 (कुशलपाल)

वनरक्षक

गोवर्धन रेंज, प्रभास मथुरा


 अनुभाग अधिकारी
 गोवर्धन

o/c



आज दिनांक 08/12/2024 को समय लगभग 08:00 AM बजे घटना स्थल ग्राम शोला भाग
 सीजापट्टी चक्रोडके डिग्रे पर कटी पडी लकडी को निम्नलिखित गवाहन की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश
 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति/प्रकाष्ठ को बरामद किया गया जिसका
 विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	उत्पत्ति	बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा		अत्रियुक्ति सम्पूर्ण पक्ष
		गोलाई से.मी.	लम्बाई से.मी.	
1.	नीम	106	-	
2.	— " —	78	-	
3.	— " —	108	-	
4.	— " —	105	-	
5.	— " —	98	-	
6.	— " —	155	-	
7.	— " —	120	-	
8.	— " —	125	-	
9.	पापड़ी	122	-	
10.	— " —	100	-	
11.	— " —	140	-	
12.	जेसोपिस ज्यू.	68	-	
13.	— " —	80	-	
14.	होंडर	92	-	

नोट:- लकड़ी हरी है सूखने पर माप में अन्तर आ सकता है।

गवाह हस्ताक्षर
नाम व पता


(शशेश्याम)
वनरक्षक
जोवर्धन रंज

जिससे सम्पत्ति बरामद की
गयी है उसके हस्ताक्षर
नाम व पता

बरामद करने वाले
अधिकारी का नाम/पदनाम व
हस्ताक्षर


(कुशलपाल)
व. र.
जोवर्धन रंज

कायालय क्षेत्राय वन आधिकार, गावधन रज

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा

777



130

पत्रांक 133/35-3 गोवर्धन, दिनांक 08/12/2024

सेवा में,

श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक
गोवर्धन रेंज।

विषय:- दिनांक 22.11.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी में वन अपराध संख्या 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि वन अपराध संख्या सं० 15/गोवर्धन/2024-25 तथा एफ आई आर सं० 0341 दिनांक 22.11.2024 में बरामद प्रकाष्ठ जो आपके द्वारा श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा की सुपुर्दगी में दिया गया था जो आज दिनांक 08.12.2024 तक मौके पर पड़ा है जिसकी रात्रि में चोरी हो जाने की संभावनाएँ बनी हुयी हैं प्रकाष्ठ की सुरक्षा के दृष्टिगत उसको सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु तत्काल आप अपनी अभिरक्षा में लेना सुनिश्चित करें तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित स्थान पर रखते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

पत्रांक / दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. प्रभागीय निदेशक महोदय मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभारी निरीक्षक थाना मर्गोरा को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. श्री आशीष सिंह वनदरोगा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने पर्यवेक्षण में उक्त प्रकाष्ठ को अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।
 4. श्री चन्द्रमान पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम श्योबा भाग सींगापट्टी पोस्ट साँख तहसील गोवर्धन, थाना मर्गोरा जिला मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्त केस/एफ आई आर में बरामद प्रकाष्ठ को विभाग की अभिरक्षा में श्री कुशलपाल सिंह वनरक्षक को सुपुर्द करें।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन रेंज

133

131

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD4

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्वा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 30/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 11:20 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 19:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्वा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0 गण ग्राम श्योबा थाना मगोर्वा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

Secn

Co9

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पचा नं0 3 दिनांक 09.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी आज मैं विवेचक थाना हाजा से खाना होकर ग्राम स्यौबा आया हूँ। जहाँ मुकदमा उपरोक्त की लकड़ी को अपनी सुपुर्दगी में लेने वाले चन्द्रभान पुत्र स्व0 भवर सिंह को तलाश किा

124

133

तो वह अपने घर पर मौजूद मिले। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री चन्द्रभान पुत्र स्व० भवंर सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्गा जनपद मथुरा उम्र करीब 68 वर्ष मो० न० 9410446249 ने पूछने पर बताया कि दिनांक 21.11.2024 को मैं गांव में ही मौजूद था हमारे गांव से नहर बम्बा की ओर जाने वाली चकरोड़ की नाप तोल एवं सिमांकन राजस्व टीम द्वारा किया गया था मेरे भतीजे देवेन्द्र फौजदार पुत्र बदन सिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्गा मथुरा के चक में लगे पेड़ पौधे चकरोड़ की हद में आ गये थे। क्योंकि चकरोड़ पर खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह द्वारा कराया गया था जिसका ठेका ठेकेदार श्री चिरन्जीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द्र नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह मथुरा को होने वाला था परन्तु अभी तक ठेका हुआ भी नहीं था कि हमारे गांव के पास के गांव भदार निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह के साथ रहकर उनके ठेके आदि के कार्यों की देखरेख करता है ने हमारे गांव के पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल एवं नेत्रपाल सिंह पुत्र श्याम सिंह व सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश उर्फ सतवीर पुत्र मुख्तयार सिंह एवं दिगम्बर सिंह पुत्र हरी सिंह के साथ मिलकर राजनीति की हनक दिखाते हुए बिना किसी बन विभाग की परमीशन के रविन्द्र एवं हमारे गांव के लोगों ने मिलकर बिना ठेकेदार चिरन्जीलाल गोला की मौजूदगी में जे०सी०बी० मंगाकर चकरोड़ की हद में आये हरे भरे पेड़ पौधों को जे०सी०बी० से उखाड़कर चकरोड़ पर मिट्टी डाल दी। जिसकी सूचना मैंने अपने भतीजे देवेन्द्र फौजदार को दी और उसने वन विभाग से पेड़ों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध शिकायत की जिस

पर वन विभाग के वनरक्षक श्री कुशलपाल मौके पर आये और समस्त उखड़े पड़े पेड़ पौधों की नाप तोल कर समस्त पेड़ पौधों को मेरी सुपुर्दगी में देकर थाने जाकर पाँचों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया तथा मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद वनरक्षक श्री कुशलपाल द्वारा अन्य छूटे हुए 14 वृक्षों की नाप तोल करने के बाद उसकी सूचना भी थाने पर दी गयी थी और वृक्षों को स्वयं लेकर गये थे मेरी सुपुर्दगी में नहीं दिया था। जो जो मेरी जानकारी में था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (काँलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

तत्पश्चात मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य लोगों से जानकारी करनी चाही तो कुछ लोग गवाही से बचने की बात कहते हुए जिनसे पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 5

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

135

129

128

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station (पुलिस स्टेशन) :****Country (देश) :****f) Description (विवरण) :**

बयान गवाह श्री वासुदेव सिंह पुत्र श्री कारे नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष मो० न० 9950422807 ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No. (क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180****b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

130

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान गवाह श्री वेदप्रकाश पुत्र महाराज सिंह नि० स्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा उम्र 59 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढा लिखा नहीं हूँ और न ही गांव की राजनीती में हिस्सा लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पडी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेडों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

S.No.(क्र.सं.) 7

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

137

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान गवाह श्री रामगोपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि० स्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा उम्र करीब 46 वर्ष मो० न० 9871815991 ने पूछने पर बताया कि साहब मैं गांव की राजनीती में हिस्सा नहीं लेता हूँ यह सारा कार्य राजनीती से प्रेरित होकर ही किया गया है जैसे हमारे गांव की यह चकरोड काफी समय से कुछ दबी पड़ी थी इसको निकलवाने एवं बनवाने के लिए हमारे गांव के नेत्रपाल दिगम्बर एवं अन्य लोग काफी समय से प्रयासरत थे तथा अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे थे। गांव का रास्ता चौड़ा और सही होने पर सभी आराम रहता है हमारे खेत भी उसी चकरोड पर आगे जाकर पास ही में आ रहे थे चकरोड को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन सिंह द्वारा अपनी निधि से मंजूर कराकर किसी ठेकेदार द्वारा बनवाया जा रहा है लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने एवं गांव भदार के रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह के साथ मिलकर जल्दीबाजी करते हुए जे०सी०बी० से मिट्टी चकरोड पर डलवा दी जिससे देवेन्द्र फौजदार के छोटे मोटे वृक्षों को काफी नुकसान हो गया यह इन लोगों की गलती है इन्होंने बिना परमीशन लिये पेड़ों को नुकसान कर दिया साहब मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। यही मेरा बयान है।

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
 b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 30/12/2024
 c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
 d) Remarks (टिप्पणियाँ):
 e) Description (विवरण):
 श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।
 f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
 अनुसंधान के अंतर्गत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
30-12-24

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

Shirish
SHO 31.12.24

139

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD5

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 31/12/2024

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 10:00 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 16:30 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताविक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0स0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुखत्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्योबा थाना मगोरा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name (गवाह का नाम) :

c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :

d) Age (उम्र) :

e) Address (पता) :

Seen

GA

CoS

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पार्चा नं0 4 दिनांक 30.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2

a) **Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य

b) **Witness Name(गवाह का नाम) :**

c) **Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :**

d) **Age(उम्र) :**

e) **Address (पता) :**

House No.
(मकान संख्या) :

Street Name
(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area
a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City
(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal
(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) **Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुझ विवेचक द्वारा ठेकेदार चिरन्वीलाल गोला से उनके मो0 न0 8077841369 से सम्पर्क कर मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध बयान दर्ज कराने हेतु कहा गया तो वह आने को तैयार हो

149 141

गये और बताया कि मैं इस समय सौख में ही हूँ आप चाहे तो मैं आपके पास चौकी सौख पर ही आ जाता हूँ मेरे कहने पर वह चौकी पर उपस्थित आये जिनसे मुकदमा के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दर्ज किये जाते हैं।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : 180

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान ठेकेदार गवाह श्री चिरन्जीलाल पुत्र नेमीचन्द नि० मुस्तफाबाद परखम थाना फरह जनपद मथुरा मो० न० 8077841369 उम्र करीब 56 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मैं खरन्जा रोड़ आदि बनाने की ठेकेदारी करता हूँ ग्राम स्यौबा में मन्दिर से बम्बा नहर की ओर चकरोड दूरी करीब 700 मी० पर ईट खरन्जा का प्रस्ताव जिला पंचायत जनपद मथुरा से स्वीकृत हुआ है यह ठेका मुझे ही दिया गया है परन्तु हम किसी भी साइड पर काम तभी करते हैं जब हमें लिखित में बनाने की परमीशन/कायदिश प्राप्त होता है यह कायदिश मुझे कार्यालय जिला पंचायत मथुरा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति में आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा। साहब मेरे द्वारा चकरोड पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया गया है क्योंकि उक्त घटना के समय तक यह क्लीयर नहीं हुआ कि उक्त कार्य का ठेका मुझे ही मिलेगा लेकिन मुझे पता चला कि आपसी राजनिती के चलते द्वेष भावना पूर्वक रविन्द्र सिंह पुत्र प्रेम सिंह नि० भदार थाना मगोर्रा मथुरा द्वारा ग्राम स्यौबा के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर जबरदस्ती बिना मेरी मर्जी के चकरोड पर जे०सी०बी० द्वारा मिट्टी डलवा दी और जे०सी०बी० से चकरोड की साइड में आने वाले पेड पौधों को बिना वन विभाग के परमीशन लिये उखडवा दिये। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो यह आदेश दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुआ है और अभी मैंने कोई कार्य शुरू भी नहीं कराया है। मैं आदेश की कपी दे रहा हूँ। यही मेरा बयान है।

149

S.No.(क्र.सं.) 4

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

नकल कार्यादेश कार्यालय जिला पंचायत मथुरा पत्रांक 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12/12/24 श्री चिरंजीलाल गोला पुत्र श्री नेमीचन्द नि0 मुस्तफाबाद परखम जिला मथुरा। इस कार्यालय के पत्रांक 905/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण जितके कम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है। आप द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन रहते हुए पचन राज्य विल्ट आयोन योजनान्तर्गत वर्ष 202425 में प्राप्त आवंटित धनराशि के स ऑनलाईन ईनिविदा के अन्तर्गत विख मोबर्धन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यौबा में मन्दिर बम्बा की और ईट खरंजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ईनिविदा की धनराशि रू0 23,36.127.26 40 शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्ताईस रू0 छब्बीस पै0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्ती अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनोंक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दश में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अवर अभियंता की देखरेख मानक / तकनीकी रूप से कार्य पूर किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा के अमांगत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उ0प्र0 क्षेत्र समिति / जिल पंचायत निर्माण नियमावली 1964 के सुसंगत प्राविधानों तथा समयसमय पर जारी दिशानिर्देशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपकी देय धननाशि से कटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिबंध हेतु सक्षम स्तर पर विचारणीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आर पारितोषिक/छूट को थोन्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त

सामिग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन ब्रिट कोर सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एमएम11 पृथक 2 रूप से समयान्तर्गत भुगतान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके भुगतान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तदुसार सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। पृष्ठकिनः 953/निर्माण अनु0/202425 दिनांक 12.12.24 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 1. नाथ अध्यक्ष, जिला पंचायतमथुरा। 2. अभियनका जिला पंचायत मथुरा की तदुसार अनुपालनार्थ। 3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत मथुरा को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त की दृष्टिमत निर्धारित अवधि में देवबंदार से समन्वय स्थापित कर मानक तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण कराकर ससमय भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अपठनीय अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा। 12.12.2024

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य

b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 31/12/2024

c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):

d) Remarks (टिप्पणियाँ):

e) Description (विवरण):

श्रीमान जी अब मुझ विवेचक को अन्य कार्य सरकार करना है अतः आज की कार्यवाही का पर्चा सेव में प्रेषित है। विवेचना जारी है।

f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):

अनुसंधान के अंतर्गत

(125) (144)

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commated By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 31/12/2024

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ravi
31-12-024

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

submitted pl.

(M) Singh
SHO 11.1.25

कार्यालय जिला पंचायत, मथुरा ।

137 145

कार्यादेश

पत्रांक: 953 / निर्माण अनु0 / 2024-25

दिनांक: 12/12/24

श्री विरजीलाल गोला पुत्र श्री नेगीचन्द
नि0- मुस्ताफाबाद, परखम,
जिला- मथुरा ।

इस कार्यालय के पत्रांक: 905 / निर्माण अनु0 / 2024-25 दिनांक 10.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण कर जिसके क्रम में आपके द्वारा परिपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । आप द्वारा किए गए अनुबंध/शर्तों के अधीन रहते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्राप्त / आवंटित धनराशि के समस्त ऑनलाईन ई-निविदा के अन्तर्गत वि0ख0 गोबर्धन के ग्राम पंचायत सीगापट्टी के ग्राम श्यांवा में मन्दिर से बम्बा की और ईट खरजा कार्य हेतु स्वीकृत ऑनलाईन ई-निविदा की धनराशि रु0 23,36,127.26 पी0 (शब्देन तेईस लाख छत्तीस हजार एक सौ मुत्ताईस रु0 छब्बीस पी0) मात्र के अन्तर्गत निविदा शर्तों के अनुसार कार्यादेश जारी होने के दिनांक से तीन माह (दिनांक 10.03.2025 तक) के अन्दर प्रत्येक दररा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की देख-रेख, मानक/तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण किये जाने के साथ ही प्रचलित कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व का फोटो, तथा कार्य के दौरान संचालित कार्य का फोटो तथा कार्य पूर्ण होने का फोटो अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत यदि आप द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपग्राम क्षेत्र समिति/ जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपकी देय धनराशि से फटौती सुनिश्चित किये जाने के साथ ही आगामी निविदा में भाग लेने के प्रतिवन्द हेतु सक्षम स्तर पर दिवालीय होगा और इस तरह की किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध आप पारितोषिक/छूट के योग्य नहीं होंगे। साथ ही कार्य में प्रयुक्त सामग्री (स्टोन बैलास्ट, स्टोन गिट, कोर-सैण्ड, फाईन सैण्ड) आदि के एम0एम0-11 पृथक-2 रूप से समयान्तर्गत मुग्तान से पूर्व लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेशानुसार आपके मुग्तान बिल से 6 गुना कटौती कर ली जायेगी, जिससे होने वाली क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे । तदनुसार सम्पूर्ण तथ्यों का सञ्ज्ञान लेते हुए प्रसंगत कार्य सम्पादित करतया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

दिनांक: 12/12/24

पुर्वांक: 753 / निर्माण अनु0 / 2024-25

प्रतिनिधि निर्मलेश्वर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. माह अध्यक्ष, जिला पंचायत-मथुरा ।
2. अभियन्ता जिला पंचायत, मथुरा को तदनुसार अनुपालनार्थ ।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत-मथुरा को इस आदेश के साथ ही उपरोक्त के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में टेबेदार से सन्तुष्ट स्थापित कर मानक/तकनीकी रूप से कार्य पूर्ण करवाकर उक्त मुग्तान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा ।

146

138

Case Diary Details
प्रकरण दैनिकी का विवरण

Case Diary No.(प्रकरण दैनिकी सं.): CD6

Case Diary Supplementary No. (प्रकरण दैनिकी पूरक सं.):

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0341

Date (दिनांक): 22/11/2024

District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोर्रा

1. a) General Information (सामान्य जानकारी)

b) Date of Preparing the Case Diary (प्रकरण दैनिकी तैयार करने की दिनांक): 02/01/2025

c) Start time of Investigation (जांच प्रारंभ समय): 09:40 बजे

d) End time of Investigation (जांच अंत समय): 12:00 बजे

Places Visited (स्थानों का दौरा किया): मुताबिक सीडी ।

e) Investigation Brief (जांच संक्षिप्त):

संक्षिप्त विवरण मु0अ0सं0 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि0 1976, घटना दिनांक 21.11.2024 समय 00.00 बजे, दिनांक सूचना 22.11.2024 समय 22.19 बजे, घटनास्थल ग्राम श्योबा भाग नैनूपट्टी, वादी कुशलपाल वनसंरक्षक गोवर्धन रेन्ज गोवर्धन मथुरा, बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्रा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्रा जनपद मथुरा ।

2. Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया)

S.No.(क्र.सं.) 1

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

3007

54

004

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में पर्चा नं0 5 दिनांक 31.12.2024 को किता कर सेवा में प्रेषित किया जा चुका है। अब मैं विवेचक मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होता हूँ।

S.No.(क्र.सं.) 2**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** अन्य**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त की विवेचात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में मुझ विवेचक को उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौखिक आदेशित कर मय हमराह के थाना हाजा से खाना होकर मुकदमा

उपरोक्त के नामित अभियुक्तगण (1) रवेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि0 गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि0गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा हस्व तलबिदा थाना हाजा पर उपस्थित हुए। मुझ विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त के बारे में बताया तो कहने लगे साहब हमें इस मुकदमे की पूरी जानकारी है हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार है। श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सजा का प्रावधान 07 वर्ष से कम है। अभियुक्तगण उपरोक्त विवेचना में सहयोग कर रहे है तथा हस्वइंदुल तलब समय से पुलिस व अदालत के समक्ष पेश होंगे। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 35(3) बीएनएसएस में निहित प्रावधानो से अवगत कराते हुये बयान अंकित करते हुये नोटिस तामील कराये गये। तामील शुदा नोटिस सलग केश डायरी है।

S.No.(क्र.सं.) 3

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

बयान अभियुक्त रविन्द्र पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम भदार थाना मगोर्ग जिला मथुरा उम्र करीब 43 वर्ष मो0 न0 9568917071, 9639908116 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा।

149

S.No.(क्र.सं.) 4**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Are

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

.बयान अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्तो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्तयार सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 58 वर्ष मो0 न0 9720463643 ने पृछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा ।

S.No.(क्र.सं.) 5**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

150

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्ला जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।..... पुष्पराज उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोर्ला जिला मथुरा उम्र करीब 23 वर्ष मो० न० 6396857795 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 6**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

**House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

बयान अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह नि0 ग्राम स्यौबा थाना मगोर्रा जिला मथुरा उम्र करीब 50 वर्ष मो0 न0 8393937580 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

S.No.(क्र.सं.) 7**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :**

159

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

(कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station (पुलिस स्टेशन) :****Country (देश) :****f) Description (विवरण) :**

बयान अभियुक्त दिगम्बर सिंह पुत्र हरीसिंह नि० ग्राम स्यौबा थाना मगोरा जिला मथुरा उम्र करीब 37 वर्ष मो० न० 9760902816 ने पूछने पर जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गयी बाकी सफाई मैं अपने बकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

S.No.(क्र.सं.) 8**a) Major Task Performed (मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अन्य****b) Witness Name (गवाह का नाम) :****c) Relative Name (रिश्तेदार का नाम) :****d) Age (उम्र) :****e) Address (पता) :**

153

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

इसके उपरान्त मुकदमा उपरोक्त के नामित अभिगणों को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस तामील कराकर एवं बयान दर्ज कर थाना हाजा से सादर रूखसत किया गया ।

S.No.(क्र.सं.) 9**a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) :** साक्ष्य विवरण**b) Witness Name(गवाह का नाम) :****c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :****d) Age(उम्र) :****e) Address (पता) :****House No.**

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र):

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :**State (राज्य) :****Pincode (पिन संख्या) :****Police Station(पुलिस स्टेशन) :****Country(देश) :****f) Description(विवरण) :**

श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में सभी विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है । घटना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है ।

156

S.No.(क्र.सं.) 10

a) Major Task Performed(मुख्य कार्य प्रस्तुत किया) : अंतिम प्रतिवेदन/आरोप पत्र

b) Witness Name(गवाह का नाम) :

c) Relative Name(रिश्तेदार का नाम) :

d) Age(उम्र) :

e) Address (पता) :

House No.

(मकान संख्या) :

Street Name

(गली का नाम) :

Colony/Locality/Area

a (कॉलोनी/इलाका/क्षेत्र) :

Village/Town/City

(ग्राम/नगर/शहर) :

Tehsil/Block/Mandal

(तहसील/ब्लॉक/मंडल) :

District (ज़िला) :

State (राज्य) :

Pincode (पिन संख्या) :

Police Station(पुलिस स्टेशन) :

Country(देश) :

f) Description(विवरण) :

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोर्ग) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोर्ग जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोर्ग जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्परज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

197

3. Evidence Details (साक्ष्य विवरण)

S. No. (क्र. सं.)	Evidence Type (साक्ष्य के प्रकार)	Property Recovered Detail (बरामद संपत्ति का विवरण)	Evidence Detail (साक्ष्य विवरण)	Collected On (प्रकृतिस्थ दिनांक)	Collected at (प्रकृतिस्थ जगह)	Collected by (प्रकृतिस्थ द्वारा)
-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

4. Action Taken Details (कार्यवाही का विवरण)

- a) Action Taken (कार्यवाही): अन्य
- b) Date of Action (कार्यवाही की दिनांक): 02/01/2025
- c) Other Information on Investigation (अनुसंधान पर अन्य जानकारी):
- d) Remarks (टिप्पणियाँ):
- e) Description (विवरण):
श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। विवेचना समाप्त।
- f) Status of Investigation (जांच की स्थिति):
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत

5. Comments Instruction of Supervisor (पर्यवेक्षक के निर्देश / टिप्पणी)

S. No. (क्र. सं.)	Comment Date (टिप्पणी तारीख)	Comments (टिप्पणी)	Commented By (द्वारा टिप्पणी)	Office Type & office Name (कार्यालय प्रकार व कार्यालय का नाम)
-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 02/01/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Signature (हस्ताक्षर):

Ram
02-01-2025

Name(नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank(पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 972140517

Sir

Submitted pl.

M. Singh
SHO 3.1.25

(198)

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 0241/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (नरक्षण) प्राप्ति 1976 दिनांक 22-11-2024

थाना मगोरी रो0आम संख्या व समय 056-22:19 वने थाना मगोरी जनपद

मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता रविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/प्रत्नी पद्म सिंघे निवासी

ग्राम/मोहल्ला मथुरा थाना मगोरी जनपद मथुरा

मो0न0 0568917071 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024

धारा 4/10 वन (नरक्षण) प्राप्ति के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो

और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया

जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 09:00 (9:00 AM) अर्पण/पूर्वाह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय

मगोरी पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रीया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसएचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2025 समय 9:00 AM से 10:00 AM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती शापन/प्रस्तुति शापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

विवेचक के हस्ताक्षर

रविन्द्र सिंह

R Singh

3568917071

Ravi Singh
02/11/2025
थाना मगोरी
मथुरा

197

भारत सरकार
Government of India



श्री रविन्द्र
Shri Ravindra
जन्म तिथि / DOB : 11/03/1981
पुरुष / Male



आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता: S/O: प्रेम सिंह, भादर, सोन, Address: S/O: Prem Singh, Bhadar, Son,
मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123 Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947
300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in

RSingh

9568917071

9639908116

158

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 341/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन (नरहाण शा) दिनांक 22-11-2024
 थाना भगोरा रो0आम संख्या व समय 56-22:19PM थाना भगोरा जनपद
 प्रयाग नाम अभियुक्त/अभियुक्ता नेजपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्याम लाल निवासी
 ग्राम/मोहल्ला चोटा तिराहा थाना गंगौर जनपद भगोरा

मो0न0 0393937580 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 वन (नरहाण शा) के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्त-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9:00 के बीच अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्य के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 21/11/2024 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 21/11/2024 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिसी की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

नेजपाल सिंह
 8393937580

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram
 21/11/2024
 रविशंकर सिंह
 थाना - भगोरा
 प्रयाग

159

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1/24 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम दिनांक 22-11-2024
 थाना मंगोरी रो0आम संख्या व समय 057/20/19 थाना मंगोरी जनपद
 मयुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता एतकी राजेश कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी सुधीर कुमार निवासी
 ग्राम/मोहल्ला (श्रीवा सिंग पट्टी) थाना मंगोरी जनपद मयुरा
 मो0न0 9720468643 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको
 सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मंगोरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1/24 दिनांक 22-11-2024
 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य
 और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये व्यक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया
 जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 2/11/25 को समय 9:00 तक अपरोह/पूर्वाह थाना/कार्यालय
 मयुरा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व
 निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

- क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
 - ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से
 रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।
 - घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
 - ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।
 - च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी
 तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।
 - छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।
 - ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।
 - झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति
 नहीं देंगे।
 - ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एचओ द्वारा लगाई जा सकती है।
- इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा
 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारधासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/25 के
 अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/25 समय 10:00 से 10:30 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे
 गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिस द्वारा
 प्रस्तुत दस्तावेजों को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस
 प्राप्त करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान
 प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

मैला उषा सचपायुजा21

9720 46 86 43

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram 91
02/11/25रवि कुमार शर्मा
थाना - मंगोरी
मयुरा

150

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 34/1024 अन्तर्गत धारा 4/10 UP भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 22/11/2024
 थाना भगोरा रो0आम संख्या व समय 056-22/10/24 थाना भगोरा जनपद
 भगोरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता भगोरा पुत्र/पुत्री/पत्नी भगोरा निवासी
 ग्राम/मोहल्ला भगोरा थाना भगोरा जनपद भगोरा

मो0न0 6396857795 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना भगोरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/1024 दिनांक 22-11-2024 धारा 4/10 के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्यो और परिस्थितियो को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/11/2025 को समय 9:00 AM अपरोह/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय भगोरा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यदिपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यो के साथ किसी तरह का छेडछाड नहीं करेगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यो का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देगे

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होगे और अन्वेषण में सहयोग करेगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यो का सच्चाई से खुलासा करेगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रिया प्रस्तुत करेगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमित नहीं देगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यो के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिपचओ द्वारा लगाई जा सकती है।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/2025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/2025 समय 9:00 AM से 12:00 PM तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को जब्ती ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

पुष्पराज

6396857795

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram si.
02/11/2025

रविशंकर

थाना भगोरा

भगोरा

पुलिस द्वारा उपस्थित के लिये नोटिस

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अन्तर्गत)

मु0अ0सं0 0241/024 अन्तर्गत धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम 1976 दिनांक 22-11-024
 थाना मगौरा रो0आम संख्या व समय 056-22119 वजे थाना मगौरा जनपद
मथुरा नाम अभियुक्त/अभियुक्ता डि.ए.ए. सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी डॉ. ए. सिंह निवासी
 ग्राम/मोहल्ला छात्रा विंग 422 थाना मगौरा जनपद मथुरा
 मो0न0 9760902816 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूँ कि पुलिस थाना मगौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/024 दिनांक 22-11-024 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के सम्बन्ध में तथ्य और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये आपसे प्रश्न पूछने के लिये युक्ति-युक्त आधार है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष दिनांक 02/01/025 को समय 9:00 बजे 10:00 बजे अपराह्न/पूर्वाह्न थाना/कार्यालय मगौरा पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यद्यपि आपको उपरोक्त एफआईआर के सम्बन्ध में इस स्तर पर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है आपको निम्नांकित सभी शर्तों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

क- आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।

ख- आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ग- आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिये धमकी प्रलोभन या वचन नहीं देंगे।

घ- जब भी अपेक्षित/निर्देशित होगा आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ- जब भी आवश्यकता होगी आप मामले के अन्वेषण में शामिल होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे।

च- आप मामले के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिये अन्वेषण में के उद्देश्य से किसी सुसंगत भाग को छुपाए बिना सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेंगे।

छ- आप अन्वेषण के प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी सुसंगत दस्तावेज/सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे।

ज- आप सह अपराधी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

झ- आप किसी भी तरह से मामले के अन्वेषण/परीक्षण के उद्देश्य से सुसंगत किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे।

ञ- कोई अन्य शर्तें जो मामले के तथ्यों के अनुसार अन्वेषण अधिकारी/एसिस्टेंट द्वारा लगाई जा सकती हैं।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी के लिये उत्तरदायी बना सकती है।

भारदासक अधिकारी का नाम

पद नाम/मुहर

थाना

जनपद

पावती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस दिनांक 02/11/025 के अनुपालन में नोटिस प्राप्त कर्ता दिनांक 02/11/025 समय 9:00 से 10:00 तक उपस्थित हुआ है पुलिस थाने द्वार रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गयी है।

यह पावती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 35(3) के अनुपालन में जारी की जा रही है नोटिसों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जल्दी ज्ञापन/प्रस्तुति ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जम्ब कर लिया गया है। नोटिस प्रपात करने वाले किसी भी अन्य नोटिस का पान करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान अन्वेषण के दौरान प्राप्त हो सकता है।

(अभियुक्त के हस्ताक्षर/नोटिसी)

डि.ए.ए. सिंह
 9760902816

विवेचक के हस्ताक्षर

Ram सि.
 02-11-025

रविशंकर सिंह
 थाना - मगौरा
 मथुरा

162

भारत सरकार
Ministry of External Affairs



व्यक्ति का नाम
SATTO JRFH SATYA/PRAKASH
जन्म तिथि/DOB: 20/08/1966
पल्ल/ MALE

व्यक्ति का नाम सही पहचान


सत्या उर्फ सत्यप्रकाश

9720463643

भारतीय डिजिटल पहचान प्राधिकरण
Indian Digital Identification Authority of India

पता: सत्या उर्फ सत्यप्रकाश, सित्तलपल्ली, सिंगो
पिन कोड: 591123

Address:
PO: Mulveyar Sivah village-syauw, Singo
Taluk: Mathura
Dist: Pradesi. 791123



1847 | <http://www.dia.gov.in> | www.dia.gov.in

183

नेत्रपाल
 Netrapal
 जन्म तिथि / DOB : 01/01/1974
 पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार

पता:
 S/O: श्याम सिंह, विलेज-श्यावा,
 सिंगे पट्टी, सोनख, मथुरा, छाता, उत्तर
 प्रदेश, 281123

Address:
 S/O: Shyam Singh, village: shawa,
 Singe Patti, Sonkh, Mathura,
 Chhata, Uttar Pradesh, 281123


1847
 1800-500 1847

help@uidai.gov.in

नेत्रपाल सिंह

NP
 83 93 93 75 80

156



दिगम्बर सिंह
 9760302016

167 165



पुष्पराज सिंह
Puhpraj Singh
 जन्म तिथि / DOB: 20/03/2001
 पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान

पुष्पराज

6396857795



नेत्रपाल सिंह
Netrapal Singh
 पता: नेत्रपाल सिंह, सोबा, सिंग पट्टी, सोनख, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 281123
 Address: S/O: Netrapal Singh, syoba, Singa Patti, Sonkh, Mathura, Uttar Pradesh, 281123

1947  help@uidai.gov.in  www.uidai.gov.in

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : जे0एम0 प्रथम महोदय (के न्यायालय में)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मथुरा

P.S. (थाना): मगोरा

Year(वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0341

Date(दिनांक): 22/11/2024

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date(दिनांक): 02/01/2025

4. S.No. Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4

2 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 10

5. Type of Final Form/Report आरोप पत्र

(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

6. If FR Unoccurred

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

159

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): Ravindra Kumar Yadav
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):972140517
9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
कुशलपाल वनसंरक्षक
- (b) (ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) :

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name रविन्द्र

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Relative's Name(रिश्तेदार का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

168

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	गाँव भदार , मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाँव भदार , मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):



Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रक

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): मुख्त्यार सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1967

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

170

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

183
171

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
--------------------	---------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name नेत्रपाल

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1975

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

164 172

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगांपट्टी, मगोर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

165
173

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 4

(i) Name पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): नेत्रपाल

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(166) (174)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सीगापट्टी, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

167
175

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्र.सं.): 5

(i) Name दिगम्बर

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): हरी सिंह

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

176
176

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

- (vii) Religion (धर्म):
 (viii) Whether SC/ST/OBC
 (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):
 (ix) Occupation(व्यवसाय):
 (x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	श्यौबा भाग सींगापट्टी, मगोर्गा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

(169) (177)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण):

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined (पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि वर्ष)	Occupat ion (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	कुशलपाल वनसंरक्षक/ 7595373793		1979		वर्तमान पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: गोवर्धन रेन्ज, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

(178)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

2	श्री राधेश्याम वन रक्षक / 8791315814	पिता: श्रीराम			वर्तमान पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: वन संरक्षक गोवर्धन, गांव भैंसा, रिफाइनरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
3	श्री चन्द्रभान / 9410446249	पिता: स्व० भवंर सिंह	1957		वर्तमान पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम स्यौबा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	श्री वासुदेव सिंह / 9950422807	पिता: श्री कारे	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा , मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
5	श्री वेदप्रकाश / 9871815991	पिता: महाराज सिंह	1966		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा , मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
6	श्री रामगोपाल / 9871815991	पिता: श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह	1979		वर्तमान पता: स्यौबा थाना मगोर्वा, मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: स्यौबा थाना मगोर्वा , मगोर्वा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	श्री चिरन्जीलाल / 8077841369	पिता: नैमीचन्द्र	1969		वर्तमान पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मुस्तफाबाद परखम थाना फरह, फरह, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	हे०का० 1550 गिरजेश कुमार पी०एन०ओ० न० 062241410 / 9411020191	पिता: श्री लज्जा राम			वर्तमान पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नगला सिंहमन थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
9	उ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह पी०एन०ओ० न० 972140517 / 9412563927	पिता: श्री राम कुमार सिंह			वर्तमान पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: हाल तैनात थाना मगोर्वा, ग्राम ताजपुर माफी थाना कटघर, कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्ष्य



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी वादी श्री कुशलपाल वन रक्षक (बीट मगोरा) पुत्र श्री साहब सिंह नि० दौलतपुर वसाऊ थाना नौहड़ील जनपद मथुरा हाल तैनात वन संरक्षक गोवर्धन जनपद मथुरा की हिन्दी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.11.2024 को मु०अ०सं० 341/2024 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 बनाम (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के विवेचना मुझ उ०नि० द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन बरामदगी, अवलोकन सुपुर्दगीनामा आदि साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त के अभि०गण (1) रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह नि० गांव भदार थाना मगोरा जनपद मथुरा (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मुख्त्यार (3) नेत्रपाल पुत्र श्याम सिंह उर्फ गुलाब सिंह (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज पुत्र नेत्रपाल (5) दिगम्बर पुत्र हरी सिंह नि०गण ग्राम श्यौबा थाना मगोरा जनपद मथुरा के विरुद्ध जुर्म धारा 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण अधि० 1976 का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभि०गण (1) रविन्द्र (2) सतवीर उर्फ सतो उर्फ सत्यप्रकाश (3) नेत्रपाल (4) पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पराज (5) दिगम्बर उपरोक्त का चालान जरिये आरोप पत्र संख्य 01/2025 दिनांक 02.01.2025 माननीय न्यायालय किया जाता है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

12/80

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

17.Refer Notice served नहीं

Date(दिनांक):

(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/01/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 2

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

IIF1.pdf, IIF2.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं/चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम, पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail

(जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफररअभियुक्त का नाम, पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सजा) :



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फॉर्म -V)

Ram
2.01.025

Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravindra Kumar Yadav

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No. 972140517
पीएनओ/सीयूजी सं:

Mhsp 3.1.25
Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अद्योषित)

Name (नाम): PS Magorra

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No. 9454403945
पीएनओ/सीयूजी सं:

To
ce

A
31/1/25

CO9

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा।

पत्रांक 4612/35-3 मथुरा, दिनांक 11/04/2025.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

- विषय :- ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे विभिन्न प्रजाति के 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों को अवैध रूप से काटे जाने पर दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर ओ०ए०सं०-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ०प्र० राज्यादि।


उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 व दिनांक 08.12.2024 को ग्राम श्योबा भाग सींगा पट्टी में चकरोड़ के किनारे 41 वृक्ष एवं 49 झाड़ियों का पातन किया गया है। जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में क्षति पहुँची है। इस सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में याची श्री देवेन्द्र फौजदार द्वारा मूल आवेदन सं०-1400/2024 दाखिल की गयी है। उक्त मूल आवेदन में याची द्वारा आपको भी प्रतिवादी सं०-2 बनाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय क्षति के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त प्रकरण में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

पत्रांक / दिनांकित।

- 1-प्रतिलिपि-वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 4078 /35-3 आगरा, दिनांक, 27 मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषय :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य।

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या-एन0जी0टी0-52/81-2-2025 दिनांक 26.05.2025, पत्रांक File No. L-1342/UP/2025/07 Dt. 02.04.2025, एन0जी0टी0-35/81-2-2025 दिनांक 03.04.2025 व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के कार्यालय का पत्रांक 2107/35-3 दिनांक 19.03.2025, 2276/35-3 दिनांक 09.04.2025, 2288/35-3 दिनांक 11.04.2025, 2364/35-3 दिनांक 23.04.2025, 2595/35-3 दिनांक 26.05.2025 तथा मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक को0के0 2698/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 17.03.2025, को0के0 2960/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 09.04.2025, को0के0 3332/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 15.05.2025, को0के0 3485/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 26.05.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 3227/35-3 दिनांक 18.03.2025, 3474/35-3 दिनांक 08.04.2025, 3615/35-3 दिनांक 17.04.2025

महोदय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या एन0जी0टी0-52/81-2-2025 दिनांक 26.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 3332/6ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 15.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये Instructions पर अनुमोदन कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिकथन Instructions पर शासन द्वारा इस शर्त एवं प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा इस शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 न्यायालय में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से कार्यवाही/प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही कराते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

शासन के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्रावली सहित किसी भिन्न अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में भेजकर दिनांक 30.05.2025 से पूर्व अधिकृत अधिवक्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष नियत दिनांक 30.05.2025 को उपरोक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही/प्रभावी पैरवी समयबद्ध करते हुए इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 अनिल कुमार पटेल)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 4078 /35-3 दिनांकित।

प्रतिलिपि - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा के कार्यालय का पत्रांक 2595/35-3 दिनांक 26.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक को0के0 3485/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 26.05.2025 के क्रम में संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 अनिल कुमार पटेल)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

कोर्टकेस/समयवद

संख्या-एन0जी0टी0-52/81-2-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26-05-2025

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को०के० 3332/6ई-2(एन0जी0टी0), दिनांक 15.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये Instructions पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 15.05.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिकथन Instructions पर शासन द्वारा इस शर्त एवं प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा इस Instructions में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये मा0 न्यायालय में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित अदेशों से कार्यवाही/प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही कराते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिवDigitally signed by
SHAIENDRA KUMAR
Date: 26-05-2025
19:05:41संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा (पर्यवेक्षण अधिकारी) विभागाध्यक्ष, 30 प्र० लखनऊ

फाइल - को.के.03496/ई-2(एनजीडी) दिनांक लखनऊ, 27/05/2025

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को उक्त खासगीय जा संख्या - एनजीडी सी 0-52/81-2-2025 दिनांक - 26.05.2025 ईमेल द्वारा प्राप्त (ईमेल प्रति संलग्न) कर ई-मेल के माध्यम से उम आशय से प्रेषित कि प्रकरण में निर्दिष्टानुसार बिंदु 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करते हुए सततय यष्टियत प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। वाड मा० एनजीडी में - 30-05-2025 को नियत है।

- 1) उपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा ज्वा, आगरा (पर्यवेक्षण अधिकारी)
- 2) वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा (नोडल अधिकारी)
- 3) प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा वन प्रभाग, मथुरा।

(ची.के.गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक, सीई क्लर्क
30 प्र० लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक 4772/35-3

मथुरा, दिनांक,

21/04/2025.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा।

विषय :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल मूल आवेदन सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार
बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2025

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल मूल आवेदन सं0-1400/2024 देवेन्द्र फौजदार
बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 में निम्न निर्देश दिये गये हैं-

“...3. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. The respondent no. 7 - Divisional Forest Officer is directed to file a comprehensive report disclosing the number and nature of trees that have been cut/uprooted and the persons responsible for the same and action taken by the forest department against them. Let this report be filed within six weeks.

5. List on 30.05.2025.”

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रतिवादी सं0-4 (जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा) की ओर से प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न अनुदेशों के आधार पर आपको/आपके विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने वाले अधिकारी को नामित/अधिकृत किया जाता है कि आप मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका स्वामी से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के अनुरूप आवश्यक विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-अनुदेश

Ch 21.4.25
जिलाधिकारी,
मथुरा।